कुरुक्षेत्र

12 NOV 1956

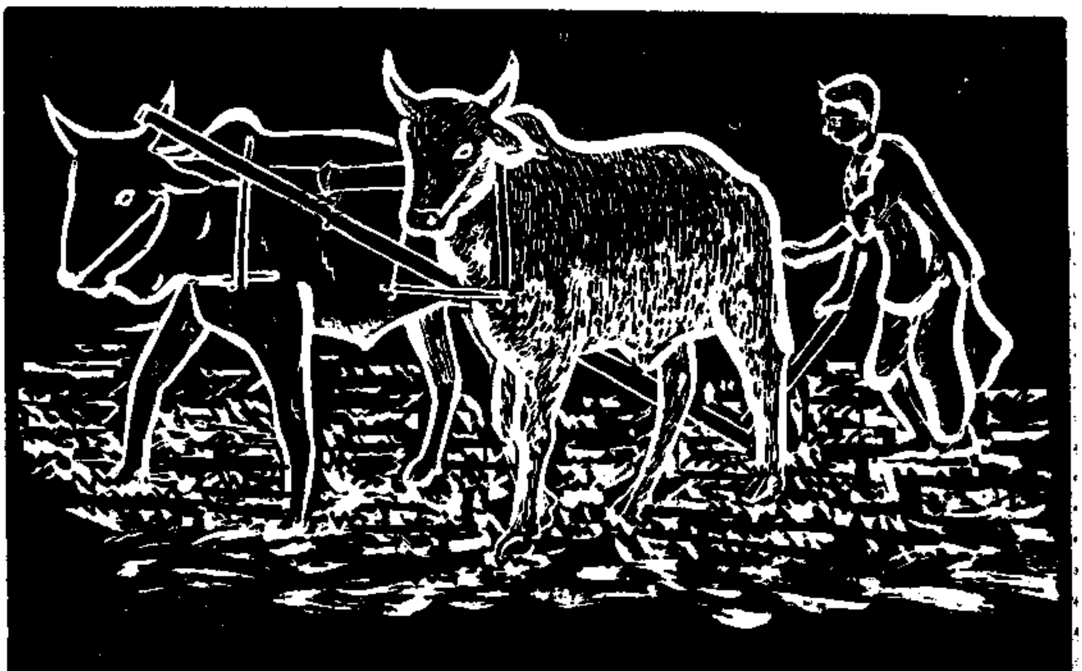

अक्तूबर

१९५६

●

चार आना

भारत की एकता का निर्माण

(सरदार वल्लभभाई पटेल)

भारत की एकता के निर्माता सरदार पटेल के २७ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

१५ अगस्त १६४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ, तब भारत में ६ प्रान्तों के अतिरिक्त ५८४ रियासतें थीं। इन ५८४ रियासतों में केवल हैदराबाद, काश्मीर और मैसूर यही ३ रियासतें ऐसी थीं, जो आकार और आबादी के लिहाज से पृथक् राज्यों का रूप धारण कर सकती थीं। अधिकांश रियासतें बहुत छोटी थीं और २०२ रियासतें तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्रफल १० वर्गमील से अधिक नहीं था। उस पर भी ये सब की सब रियासतें शासन की पृथक इकाइयाँ बनी हुई थीं।

भारत के प्रथम उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो वर्षों के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया। उक्त ५८४ रियासतों का ५,८८,००० वर्गमील क्षेत्रफल और १० करोड़ के लगभग आबादी इस अल्पकाल ही में भारत के आन्तरिक भाग बन गए। उसी तरह, जिस तरह के अन्य राज्य हैं। हैदराबाद, मैसूर और काश्मीर को पृथक-पृथक और अन्य कितनी ही रियासतों के संघ बनाकर उन्हें 'बी' श्रेणी के राज्य बना दिया गया। सैकड़ों छोटी-छोटी रियासतें आसपास के बड़े राज्यों में मिला दी गईं। परिणाम यह हुआ कि भारत भर में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और सन् १६५२ का निर्वाचन समूचे देश में बालिग मताधिकार के आधार पर समान रूप में हुआ।

इस नवीन भारत की एकता के निर्माण में सरदार पटेल के इन २७ भाषणों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाधीनता के पहले २॥ वर्षों की भारतीय समस्याओं पर इन भाषणों में जो प्रकाश डाला गया है, उसका महत्व ऐतिहासिक है। ये भाषण देश के लिए चिरकाल तक प्रकाश-स्तम्भ का काम देते रहेंगे।

प्रचार के उद्देश्य से इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रन्थ का मूल्य बहुत कम रक्खा गया है। पुस्तक में ३५० बड़े आकार के पृष्ठों के अतिरिक्त १६ पृष्ठ सरदार पटेल के सुन्दर चित्र और नवीन भारत का एक मानचित्र भी दिया गया है।

[ग्रन्थ का मूल्य ५) रु० : डाक व्यय अलग।

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फ़र्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन का मासिक मुखपत्र

वर्ष १] अक्तूबर १९५६ [अंक १२

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : आर० शारंगन्]		
प्रधान मन्त्री का सन्देश	...	३
युग-निर्माता गान्धी	चन्द्रगुप्त विद्यालंकार	४
पृथ्वी का चौथाई भाग मरुस्थल	जेम्स स्वारब्रिक	६
भारतीय ग्राम-समाज	जी० रामचन्द्रन	९
भूमि का नया बँटवारा	अजितप्रसाद जैन	१२
राजस्थान ग्राम-मुखिया शिविर	चित्रावली	१५-१८
एक सफल परीक्षण	गजानन्द डेरोलिया	१९
बिल्ली के घंटा कौन बाँधे ? [व्यंग्य-चित्र]	सैमुअल	२२
ग्राम-सुधार की दिशाएँ	वी० टी० कृष्णमाचारी	२३
गिरती दीवारें	मुश्ताक अहमद खाँ	२५
परोपकारी जीवन	भगवानप्रसाद मिश्र	२७
उत्तर प्रदेश में जन बल का उपयोग	...	२७
प्रगति के पथ पर	...	३०

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : *मनोहर जुनेजा*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञापन के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन
दिल्ली—८ को लिखें

आनेवाली पीढ़ियां मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि कभी कोई हाड़-मांस का ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता-फिरता था।

—आइन्स्टीन

प्रधान मन्त्री का सन्देश

सामुदायिक विकास-योजनाओं की ज़िन्दगी में एक नया दौर शुरू हुआ है। इन योजनाओं के लिए भारत सरकार ने एक नया मन्त्रालय खोला है। इस नए मन्त्रालय का नाम भी इन विकास-योजनाओं के नाम पर ही रखा गया है। शायद दुनिया में पहली बार किसी मुल्क में सामुदायिक विकास के लिए एक अलग मन्त्रालय खोला गया है।

इससे सिर्फ यही ज़ाहिर नहीं होता कि सामुदायिक योजना-क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में काम काफी आगे बढ़ चुका है, बल्कि इस बात का भी पता चलता है कि हम इनके विकास और महत्व को कितना महत्त्व देते हैं। इससे हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। पिछले चार सालों में श्री सुरेन्द्र कुमार दे के नेतृत्व में यह काम जिस तरह आगे बढ़ा है, उसको देखते हुए मुझे इस बात का यकीन है कि यह नया मन्त्रालय नए मन्त्री की देख-रेख में सफल रहेगा।

इन दिनों अक्सर मैंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अन्न की उपज तेज़ रफतार से बढ़ाई जाए। देश के देहाती इलाकों में सहकारी समितियों की स्थापना की ज़रूरत का भी मैं ज़िक्र करता रहा हूँ। ये ऐसी मुख्य और आवश्यक ज़रूरतें हैं जिन पर देश की अर्थ-व्यवस्था की तरक्की निर्भर करती है।

इस बात को तो हमें हमेशा याद रखना है, लेकिन इससे बढ़ कर हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हमारा उद्देश्य इन्सानों को बनाना है—उनमें हर मुमकिन सुधार करना है। हमारी सामुदायिक विकास-योजनाओं का काम है लोगों तक आशा का सन्देश पहुँचाना, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें यह महसूस करवाना कि मिल-जुल कर कठिन मेहनत करके ही हम अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं।

हिन्दुस्तान के गाँवों की रोमांचकारी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है—हमारे फैले हुए खेतों, और अनगिनत गाँवों में एक नया नाटक खेला जा रहा है। हमारे लाखों ग्राम सेवक, व्यवस्थापक वगैरह इस नाटक के पात्र हैं। सच तो यह है कि इस नाटक के खेलने में देश के हर मर्द, औरत और बच्चे को शरीक होना चाहिए। हर हिन्दुस्तानी को इस बात का अहसास हो कि वह एक नए हिन्दुस्तान के बनाने में हिस्सा ले रहा है और इस बड़े काम से उसकी ज़िन्दगी बेहतर बन रही है। बड़ा काम करते हुए इन्सान खुद भी बढ़ता है। जब हम किसी ऊँचे उद्देश्य से कोई काम करते हैं, तो हम पर भी उस बड़प्पन की छाप पड़ जाती है।

—जवाहरलाल नेहरू

युग-निर्माता गान्धी

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

महात्मा गान्धी को मैं इस युग का सबसे बड़ा एक आश्चर्य मानता हूँ। आज भारत में जो कुछ श्रेष्ठ है और नए भारत में जो प्राण-शक्ति है, उसके निर्माण में गान्धी जी का हाथ सब से अधिक है। इसी कारण गान्धी जी हमारे देश के राष्ट्र-पिता माने माने जाते हैं और करोड़ों भारतवासी उन्हें 'बापू' नाम से याद करते हैं। गान्धी जी का सम्पूर्ण जीवन चमत्कारपूर्ण रहा। वह सदा एक महान शक्ति बन कर रहे। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि वह अपने युग की सब से बड़ी शक्ति बन कर रहे। एक ऐसी महान शक्ति, जिसके सम्पर्क में जो भी आया, वह भी महानता की ओर बढ़ चला। ऐसी महान शक्ति, जो 'असत' से 'सत्य' की ओर ले जाती थी, 'तम' से 'ज्योति' की ओर ले जाती थी और 'मृत्यु' से 'अमृत' की ओर ले जाती थी।

जहाँ तक यश और ख्याति का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि पिछले १२०० वर्षों के मानव इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति को उतना यश और उतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई जो गान्धी जी को उनके जीवन-काल ही में प्राप्त हो गई थी। वह जहाँ भी जाते थे, वही देश का केन्द्र बन जाता था, वह जहाँ भी रहते थे, वही स्थान देश का तीर्थ बन जाता था। जो बात वह सोचते थे, सारा देश वही बात सोचने लगता था, जो काम वह हाथ में ले लेते थे, वही काम सारा देश करने लगता था।

जितना शानदार गान्धी जी का जीवन था, उतना ही शानदार उनका बलिदान भी हुआ। मानव जाति के इतिहास में आज तक किसी एक व्यक्ति के देहावसान पर इतना व्यापक और इतना गहरा शोक और कभी नहीं मनाया गया। भारत में तो करोड़ों नागरिकों को ३० जनवरी १९४८ की साँझ सचमुच यह अनुभूति हुई, जैसे उनके पूज्य पिता का हाथ उन पर से उठ गया हो। यह सच है कि पुराने युग में इस तरह का समाचार कुछ मिनटों में भूमण्डल पर फैल भी नहीं सकता था, पर गान्धी जी के लिए मानव-जाति के बड़े भाग में जो श्रद्धा और सम्मान विद्यमान था, वह उक्त पृथ्वीव्यापी शोक का सबसे बड़ा कारण था।

नवीन भारत के राष्ट्रपिता एक असाधारण प्रतिभा सम्पन्न मानव थे, पर प्रतिभा तो और भी कितने ही लोगों में होती है। गान्धी जी का हृदय बहुत विशाल था, पर भारत में विशालहृदयता की कमी कभी नहीं रही। उनमें अनथक कार्यशक्ति थी, पर अकेली कार्यशक्ति किसी को महान नहीं बना देती। उक्त सभी गुणों के साथ गान्धी जी का एक अत्यन्त असाधारण गुण यह था कि वह एक महान साधक थे। और गान्धी जी जैसा महान साधक इस विशाल पृथ्वी पर भी कभी-कभी जन्म लेता है।

गान्धी जी की साधना 'सत्य' की साधना थी। इसी साधना के लिए वह युग पुरुष जिया और इसी साधना में उसने अपने प्राण दिए। यह महान साधक आजीवन सत्य के सम्बन्ध में परीक्षण करता रहा। उस युग पुरुष के ये सत्य सम्बन्धी परीक्षण संसार के सब से महान वैज्ञानिकों के महानतम परीक्षणों के समान मूल्यपूर्ण थे और अपने क्षेत्र में उनका महत्व भी किसी बड़े से बड़े भौतिक परीक्षण से कम नहीं था।

भारत की इस पुण्य भूमि पर सत्य के ये महान परीक्षण कितनी ही बार किए जाते रहे हैं। युगों पूर्व हिमालय की उपत्यकाएँ वेदों की सत्य सम्बन्धी ऋचाओं से मुखरित हुई थीं। इसी भूमि पर उपनिषद्कार महान द्रष्टाओं ने सत्य का चिन्तन किया था। भारत की यही धरती सत्य के महानतम साधक गौतम बुद्ध के चरणों से पवित्र हुई थी। भारत के उक्त सभी महान क्षणों के समान आज से सिर्फ १० वर्ष पहले के वे क्षण भी 'अमर क्षण' थे, जब इस युग का सबसे बड़ा सत्य साधक नंगे पाँव नोआखाली की यात्रा कर रहा था। उसने कहा था कि "मैं तीर्थ-यात्रा कर रहा हूँ, इससे मैं नंगे पाँव पैदल चलता हूँ।" पर सच तो यह है कि इस यात्रा द्वारा वह देवपुरुष नए तीर्थों का निर्माण कर रहा था।

महात्मा गान्धी की जीवनचर्या घड़ी के समान नियमित थी। प्रत्येक कार्य का समय निश्चित था और प्रत्येक कार्य ठीक अपने समय पर होता था। सन १९३० की बात है कि जब इस अनोखे सन्त नेता ने उस जमाने के विश्व के सब से अधिक शक्तिशाली देश इंग्लैंड को नमक का कानून तोड़ कर परास्त करने का अजीब-सा दिखाई देनेवाला निश्चय किया था। उस युग के समझदार माने जाने वाले अधिकांश बुद्धिजीवी गान्धी जी के इस निश्चय पर खुल कर हँसे थे। पर संसार भर ने पाया कि महात्मा गान्धी की डांडी यात्रा के साथ-साथ प्रति दिन भारत का रूप ही बदलता चला गया।

इस देश का जनसमुदाय जैसे एकाएक सचेतन हो उठा। गान्धी जी और उनके साथी जितना-जितना डांडी की ओर बढ़ते गए, देश भर की स्थिति गम्भीर से गम्भीरतर बनती चली गई। वह समय इस प्रकार का था कि भारत के लाखों व्यक्तियों को रातभर नींद न आती थी। सरकारी कर्मचारी अपनी चिन्ताओं के कारण सो न पाते थे, देश के स्वयंसेवकों को कार्य साधन की चिन्ता सोने न देती थी और लाखों भारतीय डांडी मार्च के समाचार और परिणाम जानने की उत्सुकता के कारण सो न पाते थे। उन दिनों भी अगर कोई ठीक समय पर निश्चिन्त होकर गहरी नींद सोता था, तो वह उक्त सम्पूर्ण आन्दोलन का सर्वोच्च नेता महात्मा गान्धी ही था। आखिर एक दिन किसी ने गान्धी जी से पूछ ही तो लिया—"बापू, आपने सारे देश की नींद हराम कर दी है और आप खुद इस तरह ठीक समय पर गहरी नींद सो जाते हैं! इसका रहस्य क्या है?"

बापू ने कहा—"देखो भाई, जब मैं सोने लगता हूँ तो अपने भगवान को याद करता हूँ। अपने इस राम से मैं कहता हूँ 'हे मेरे राम, तेरे काम की गठरी मैंने दिन भर पूरी ईमानदारी से सम्भाली है, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, सो अब अपनी गठरी तू आप सम्भाल!' और सब चिन्ताओं की गठरी भगवान को सौंप कर मैं निश्चिन्त सो जाता हूँ।"

इसी अनासक्त दिव्य साधना का एक शानदार उदाहरण नोआखाली में मिला था। नोआखाली में जो लोग अत्याचार पीड़ित हुए थे, उनके प्रति गान्धी जी से बढ़ कर सहानुभूति और किस व्यक्ति के हृदय में हो सकती थी। जिन दिनों सारा भारत अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की खुशियां मना रहा था, यह महान सन्त नोआखाली में पैदल चल कर अत्याचार पीड़ितों के आँसू पोंछ रहा था। उन्हीं दिनों गान्धी जी एक ऐसे गाँव में पहुँचे, जहाँ जघन्य अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई थी। गान्धी जी को वे सब हृदय-विदारक घटनाएँ सुनाई गईं। उन्हें एक ऐसे मकान में ले जाया गया जहाँ घर भर के सब प्राणियों की न सिर्फ निर्मम हत्या की गई थी, अपितु उन पर पैशाचिक अत्याचार भी किए गए थे। बच रही थी तो घर की एक बुढ़िया, जिसकी करुण दशा देखने तक में असह्य थी। घर भर में अत्याचार के प्रमाण बिखरे पड़े थे और उस सब के बीचोंबीच उक्त बुढ़िया को देख कर गान्धी जी के साथ आए सभी लोग द्रवित हो उठे। उस जीवित बुढ़िया की दशा मृतक से भी अधिक करुणाजनक थी। गान्धी के साथ उस मकान तक आए सभी लोग, हिन्दु-मुसलमान सब के सब, चुपचाप आँसू बहाने लगे। अगर किसी की आँख में आँसू नहीं आए, तो वह महात्मा गान्धी थे। करुणा का वह महान हिमालय हिमवत् स्थिरता से चुपचाप वह करुणतम दृश्य देखता रहा!

हमारे देश का यह परम सौभाग्य है कि यह युग पुरुष नवीन भारत का निर्माता था। राष्ट्रीय निर्माण का कोई छोटे से छोटा क्षेत्र भी इस महान द्रष्टा की पैनी दृष्टि से बचा नहीं रहा। राष्ट्र निर्माण के सभी पहलुओं की ओर हमारे राष्ट्रपिता ने पूरा ध्यान दिया। किसी बात को उन्होंने छोटा या उपेक्षणीय नहीं समझा। राष्ट्र के समान व्यक्ति के जीवन को उच्च बनाने की दृष्टि से भी इस युग के इस सब से बड़े महात्मा का ध्यान जीवन की अत्यन्त छोटी-छोटी बातों की ओर भी उतना ही था, जितना बड़ी समझी जाने वाली बातों की ओर। जहाँ वह सारे राष्ट्र को मितव्ययता और प्राप्त साधनों के अधिकतम उपयोग की सलाह देते थे, वहाँ निजी जीवन में इस मितव्ययता और साधनों के अधिकतम उपयोग को इतना महत्व देते थ कि डाक में आए लिफाफों तक को सम्भाल कर रखते थे कि उनका उपयोग हो सके।

यदि महात्मा गान्धी के महान आदर्शों के व्यावहारिक भाग को एक ही वाक्य में व्यक्त करना हो तो वह वाक्य इस प्रकार है—"व्यक्ति, समाज, अथवा राष्ट्र के लिए अच्छा लक्ष्य का होना ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे लक्ष्य के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छे साधनों का प्रयोग उतना ही आवश्यक है।" यह एक बहुत बड़ी बात महात्मा गान्धी ने हमारे देश के सम्मुख लक्ष्य के रूप में रक्खी है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिस पर चल कर हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिस पर आचरण करते हुए कभी कोई व्यक्ति मार्गभ्रष्ट नहीं हो सकता। और यही एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर आचरण करने से ही मानव जाति का भविष्य सुनिश्चित और आशापूर्ण बन सकता है।

सच बात तो यह है कि लक्ष्य तो कब किस ने प्राप्त किया है। प्रत्येक क्षेत्र में जीवन का लक्ष्य रात के तारों के समान दूर ही दूर बना रहता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के जीवन में जब एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है, तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है, जैसे पहाड़ की एक चोटी पर चढ़ते ही दूसरी और भी बड़ी चोटी दिखाई देने लगे। सैकड़ों, हज़ारों सालों से मानव समाज किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा है और आनेवाले हज़ारों सालों में भी वह किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा।

(शेष पृष्ठ १४ पर)

पृथ्वी का चौथाई भाग मरुस्थल

जेम्स स्वारब्रिक

संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) का एक उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा मानव जाति के जीवन को उन्नत करना भी है। जन्मते ही यूनेस्को के सामने यह उच्च आदर्श मुखर हो उठा, क्योंकि संसार का एक-चौथाई क्षेत्र सूखा है, जहां पानी की कमी के कारण बहुत थोड़ी-सी आबादी जैसे-तैसे अपनी गुज़र-बसर कर सकती है।

दुनिया के नक्शे को देखने से पता चलता है कि रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से चीन तक फैला हुआ है। सहारा का रेगिस्तान सारे उत्तरी अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है और यही पूर्व में अरब से हो कर पाकिस्तान तक आ पहुँचा है। इसी प्रकार उत्तर में एलास्का से लेकर दक्षिण में दक्षिण अमेरिका की दक्षिणी नोक तक प्रशान्त महासागर के किनारे का सारा प्रदेश रेगिस्तानी है। केवल मध्य अमेरिका का कुछ क्षेत्र बीच में हरा-भरा दिखाई देता है। दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। पूर्वी भाग को छोड़ कर आस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी प्रायः यही हाल है। इन सब क्षेत्रों की समस्याएँ भी एक नहीं तो एक-जैसी अवश्य हैं।

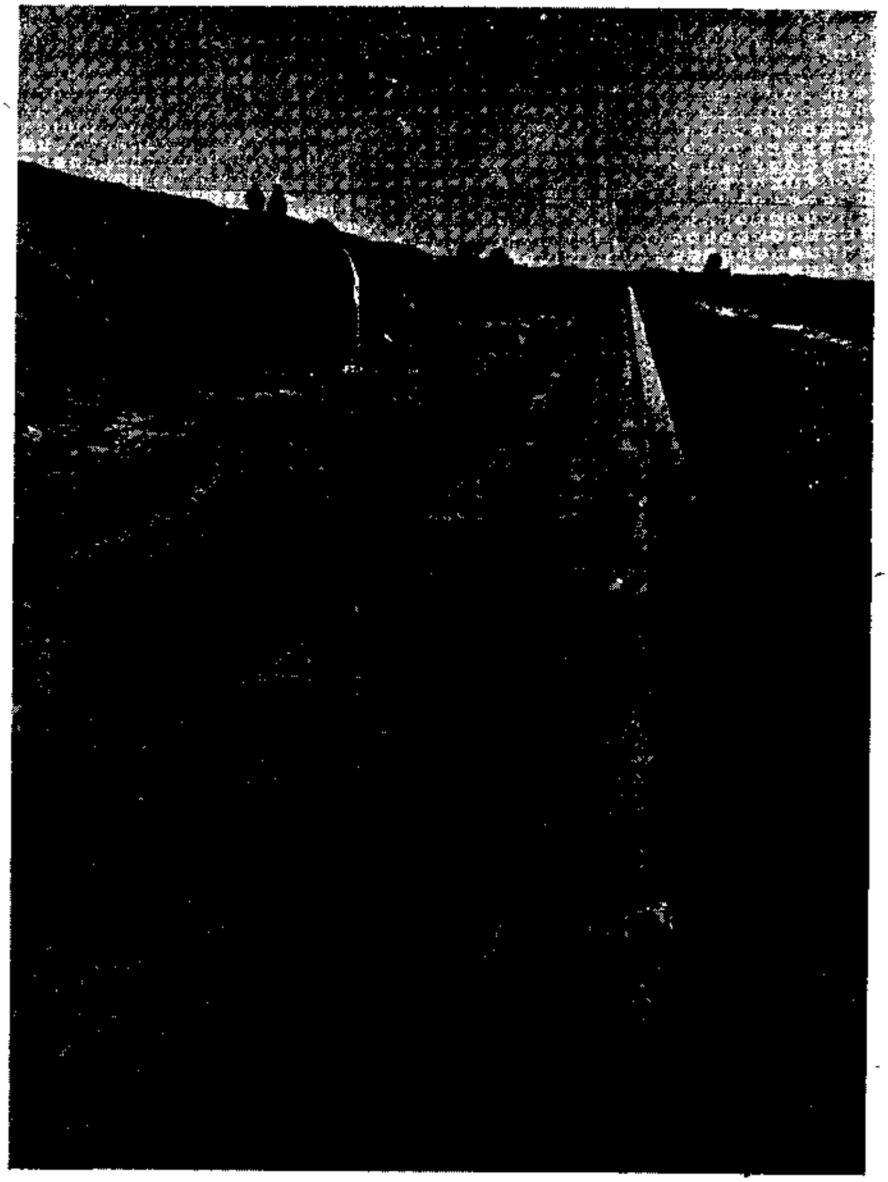

मोरक्को में मरुस्थल को सींचने के लिए दूर से लाई गई एक नहर

कई देशों में इन समस्याओं को हल करने के प्रयत्न भी हो रहे हैं। यूनेस्को ने सब से पहले यह पड़ताल की कि अब तक रेगिस्तानों के बारे में कहाँ-कहाँ क्या-क्या अनुसंधान हुए हैं। इस पड़ताल के परिणामस्वरूप यूनेस्को को २३ देशों की लगभग १०० गवेषणा संस्थाओं का पता लगा, जो इस विषय में थोड़ा-बहुत काम कर रही थीं।

यूनेस्को का प्रयत्न है कि सब देशों में रेगिस्तान की समस्या के प्रति जाग्रति हो, इस के हल करने के लिए अनुसंधान किये जाएँ और अनुसंधान के नतीजों का व्यापक उपयोग हो। इस दिशा में यूनेस्को की 'मरुस्थल गवेषणा सलाहकार समिति' की देख-रेख में काम चल रहा है। विभिन्न देशों के ६ वैज्ञानिक इस समिति के सदस्य हैं।

पानी की कमी सब रेगिस्तानों की समान समस्या है । कहीं यह समस्या है कि पानी कहाँ से आए और कहीं यह कि लोगों को सूखे की मुसीबत से कैसे बचाया जाए और जितना पानी उपलब्ध है, उसका कैसे उपयोग किया जाए ?

वर्षा का कुछ पानी तो मिट्टी की ऊपरी सतह में रह जाता है, जिसे या तो पौधे सोख लेते हैं, या यूं ही सूख जाता है । कुछ पानी जमीन में गहराई तक समा जाता है, जहाँ से या तो यह स्रोतों द्वारा नदियों और चश्मों में जा मिलता है या कहीं जमा होता रहता है । ऐसे स्थानों पर कुएँ खोदकर पम्पों आदि से पानी निकाला जा सकता है । जिस चट्टान में पानी भरा है, वह, यदि दो ऐसी सख्त चट्टानों के बीच में है, जिनमें से पानी नहीं रिस सकता तो इस पानी का दवाब बहुत बढ़ जाता है और ऐसे स्थान पर कुआँ खोदने से पानी स्वयं उबल पड़ता है । ऐसे कुओं को 'आर-टीजन वेल' कहते हैं ।

रेगिस्तान में पहले तो वर्षा बहुत कम होती है और जब होती है तो बाढ़ आ जाती है । बाढ़ से यहाँ की जमीन बहुत कट जाती है । इस प्रकार एक तो पानी बेकार जाता है, दूसरे जमीन खराब हो जाती है । इसलिए पानी को रोकने और जमा करने के लिए बाँध और जलाशय बनाना बहुत जरूरी है । इस समय भारत में नदियों से जितनी सिंचाई होती है, उतनी संसार के और किसी देश में नहीं होती, पर रेगिस्तानी नदियों का आयोजित विकास करने से और अधिक लाभ हो सकता है ।

यदि समुद्री और कुओं के खारे पानी का नमक निकाल कर उसे सिंचाई और पीने के योग्य बनाने की कोई सस्ती विधि निकाली जा सके तो रेगिस्तानों को हरा-भरा करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम होगा । दुनिया के नक्शे को देखने से पता लगेगा कि कई रेगिस्तान समुद्री किनारे पर ही हैं । चिली और पीरू के रेगिस्तान इसी प्रकार के हैं । कैसी बिडम्बना है कि एक ओर अथाह जलराशि और दूसरी ओर सूखा रेगिस्तान । एंडीज के दूसरी ओर से नलों और रेलों में पानी लाना पड़ता है । अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं निकला है जिससे समुद्र के पानी का खारीपन दूर किया जा सके । पानी प्राप्त करने का एक और तरीका है—कृत्रिम वर्षा । पर यह उपाय भी अभी निश्चित और पूर्णतः सफल नहीं माना जाता ।

रेगिस्तान में पानी के बाद दूसरी समस्या है, बिजली आदि की

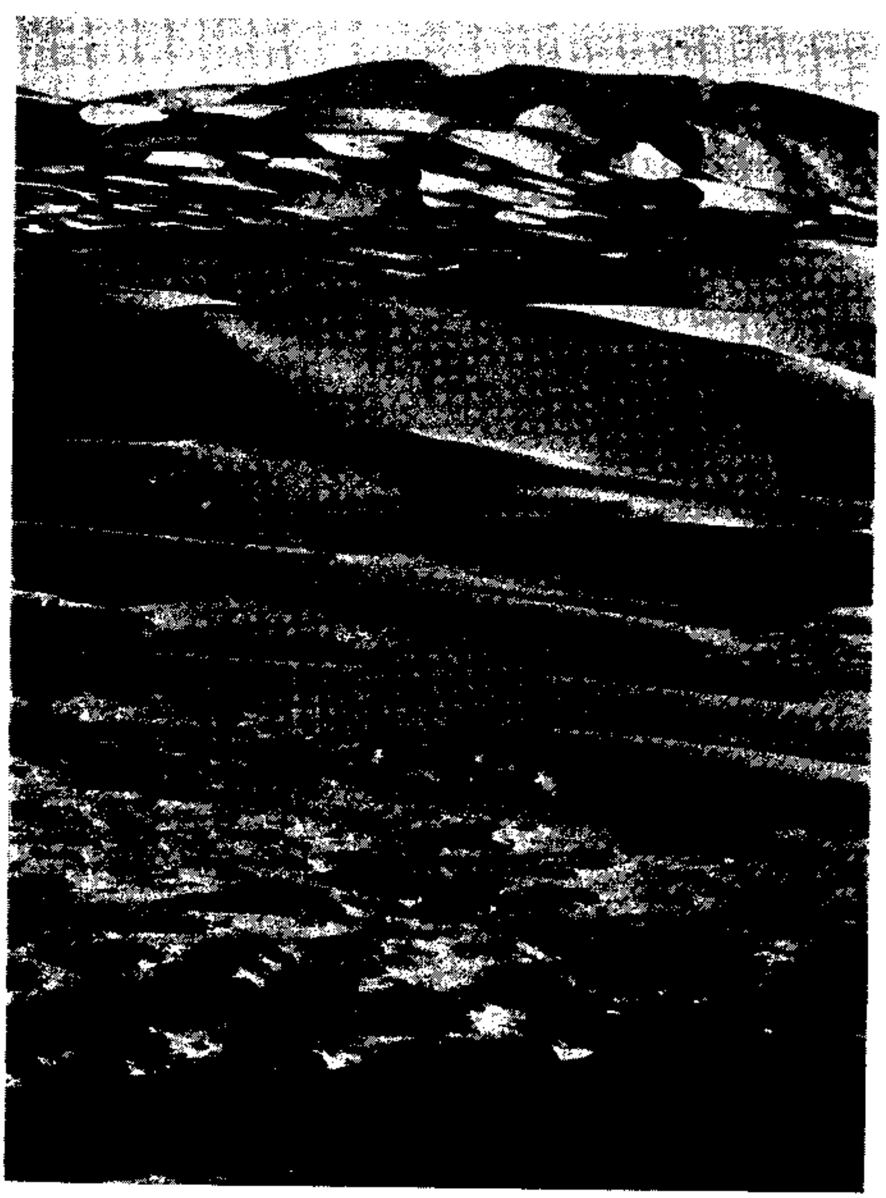

एक भयंकर मरुस्थल

राजस्थान का मरुस्थल

शक्ति की । पानी खींचने, घरेलू कामों, खेती-बाड़ी और उद्योगों तथा खानें खोदने के लिए शक्ति की जरूरत है। इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए, अन्यथा लोग पेड़ों और झाड़ियों को काट-काट कर जलाते रहते हैं और इस प्रकार वनस्पति और नष्ट होती चली जाती है ।

मरुस्थल गवेषणा सलाहकार समिति की साल में दो बार बैठक होती है और गवेषणा की प्रगति पर विस्तृत विचार-विमर्श होता है । साल में एक बार किसी एक विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है ।

समिति ने कुछ ऐसी आम योजनाएँ भी मंजूर की हैं, जैसे रेगिस्तान की स्थिति आदि के बारे में सही नक्शे आदि तैयार करना । गवेषणा की कुछ योजनाओं के लिए भी यूनेस्को धन की सहायता देता है । ऊँट का शरीर और प्रकृति आदि गवेषणा का एक ऐसा ही विषय है। यरुशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने ओस से पौधों को क्या लाभ हो सकता है, इस विषय पर खोज की है ।

यूनेस्को की ओर से पाकिस्तान में एक भौतिकी संस्थान और तुर्की में जल-भूगर्भ संस्थान स्थापित करने के लिए काम कर रहा है । पीरु ने भी अपने देश के रेगिस्तान के बारे में गवेषणा के लिए एक संस्थान खोलने की प्रार्थना की है । मिश्र के हेलियोपोलिस के मरुस्थल गवेषणा संस्थान की सहायता के लिए यूनेस्को ने कुछ विशेषज्ञ भेजे हैं । इज्राइल में वायु की शक्ति का सर्वेक्षण किया गया है ।

बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले प्रायः समझते हैं कि भला रेगिस्तान से हमारा क्या सम्बन्ध, किन्तु वे भूल जाते हैं कि शहर भी पथरीले रेगिस्तान ही हैं, जहाँ अन्न का एक दाना पैदा नहीं होता और पानी भी सफाई के काम आता है, सिंचाई के नहीं । पर पृथ्वी के चौथाई क्षेत्र के निवासियों के लिए, ये बातें जीवन की मूलभूत समस्याएँ हैं।

भारतीय ग्राम-समाज

जी० रामचन्द्रन

भारतीय ग्राम समाज क्या है, इस सम्बन्ध में कोई ग़लत-फहमी नहीं रहनी चाहिए। सब से पहली बात यह है कि ग्राम समाज देश के अनेक समाजों में से सर्व प्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह भारत का कोई भाग या अंश मात्र नहीं है। यह स्वयं सारा भारत ही है।

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ८० प्रतिशत भाग गाँवों में रहता है। पिछली कई शताब्दियों से ऐसा ही है और भविष्य में काफी समय तक हालत ऐसी ही रहेगी। अगर आज हमारे गाँवों के लोग गाँवों को छोड़ कर शहरों और कस्बों पर धावा बोल दें, तो हमारे शहरों और कस्बों का बुरा हाल हो जाए। महात्मा गान्धी ने एक बार कुछ-कुछ मजाक करते हुए कहा था—"लोग भगवान की आँखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन गणित को धोखा देना असम्भव है।" इस तथ्य में विश्वास रखते हुए भी हम में से अधिकतर लोग अक्सर गणित को भुला देते हैं। लगभग हरेक व्यक्ति यह बात मानने को तैयार होगा कि ८० प्रति शत लोगों का अर्थ है लगभग सब लोग और जो बात ८० प्रति शत पर प्रभाव डालेगी वह सारे राष्ट्र को प्रभावित करेगी और जिस बात का ८० प्रति शत लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, वह ज्यादा महत्व की नहीं है। हमारा कोई भी कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बन सकता जब तक वह गाँवों का कार्यक्रम न हो। इस सब के बावजूद जब भी कोई राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम बनाया गया, उसमें स्थान-स्थान पर शहरों और कस्बों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया। जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम-कल्याण आदि कार्यक्रमों में अक्सर ऐसा ही होता रहा है। इसलिए यह बात हर पाठक को गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि ग्राम-समाज का कल्याण, राष्ट्र के किसी अंश का कल्याण न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र का कल्याण है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि शहरों और कस्बों से सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जाए——ऐसा करना सम्भव भी नहीं। ऐसा करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता, हालांकि गाँवों से ऐसा व्यवहार काफ़ी समय से किया जा रहा है। शहरों और कस्बों में रहनेवाले लोग कुल जनसंख्या का २० प्रतिशत होते हुए भी काफ़ी सजग हैं। कई शताब्दियों तक हमारे गाँववालों का शोषण होता रहा है और वे मूक और असंगठित रहे हैं। पिछले ३०-४० वर्षों में अर्थात् गान्धी युग में हमारे गाँवों में जागृति आई है और अब वे आगे बढ़ने को आतुर नज़र आ रहे हैं। कस्बों और शहरों का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमारे करोड़ों लोग इनमें रहते और फलते-फूलते हैं। वे अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकते हैं। इस समय भी गाँवों की तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं गया है और वहाँ जीवन की आवश्यक सुविधाओं का नितान्त अभाव है। इस लिए हम लोग कस्बों और शहरों के विरुद्ध कोई जिहाद नहीं कर रहे और न ही उनकी उपेक्षा करवाना चाहते हैं——आवश्यकता केवल इस बात की है कि ग्राम-समाज को भारत का एक अविभाज्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाए।

हमारे देश में ग्राम-समाज के वास्तविक महत्व को पहले-पहल महात्मा गान्धी ने आँका और इसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तभी तो उनका सारा रचनात्मक कार्यक्रम एक ग्राम सुधार आन्दोलन बन गया था। इस आन्दोलन के अंग थे——खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन सेवा, बेसिक शिक्षा और कस्तूरबा ट्रस्ट कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम ग्राम आन्दोलन में पूरी तरह खप जाते हैं। गान्धी जी ने सबसे पहले इस बात का प्रतिपादन किया कि प्रत्येक राष्ट्रीय आयोजन और पुनर्निर्माण में ग्राम-समाज को रीढ़ माना जाए। अपने जीते जी ही वह इस चीज़ को पूरा करने में सफल भी हुए। आज, उन्हीं के प्रभावस्वरूप ग्राम समाज को हमारे राष्ट्रीय आयोजन में वह स्थान प्राप्त है, जो होना चाहिए था। यह उनकी अनेक सफलताओं में से एक है। गान्धी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में जिस नए आन्दोलन का आरम्भ किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम उसी का एक रूप है।

यह भारतीय ग्राम-समाज का इतिहास है। यह एक लम्बा इतिहास है और काफी हद तक स्वयं भारत का इतिहास है। देश में दूर-दूर तक फैले हुए ५ लाख गाँवों में हमारा ग्राम-समाज बसा हुआ है। ये गाँव हमारे देश की सब से प्राचीन संस्थाएं हैं। इस सम्बन्ध में हमें कोई भूल नहीं करनी चाहिए। हमारे गाँव, हमारे लोगों की जीती-जागती संस्थाओं से कम नहीं थे और न ही अब भी हैं। अगर कोई व्यक्ति एक भारतीय गाँव को मकानों का एक समूह मात्र मान कर चलता है, तो वह कदापि उस को समझ नहीं पाएगा। गाँव

कई शताब्दियों से भारतीय जीवन और संस्कृति के विकास का प्रतिनिधि रहा है। यह हमारे सामाजिक संगठन को मूल इकाई रहा है और इसके इस रूप में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक हमारे गाँवों की परम्परा अखण्ड रही है। हम इस परम्परा को भंग नहीं कर सकते और ऐसा करना ठीक भी नहीं है। गाँवों की परम्पराओं को नष्ट करने का अर्थ है करोड़ों ग्रामवासियों को जड़ें खोदना। यह हम सब के लिए खतरे से खाली नहीं है। हाल ही में हमें इस बात का कटु अनुभव भी हुआ है कि किसी समुदाय को उसके परम्परागत वातावरण से अलग करके नए वातावरण में बसाना कितना कठिन है। मेरा मतलब शरणार्थियों की समस्या से है। हमें अपनी आधुनिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए न कि ऐसी-एसी नई समस्याएँ पैदा करें जिनको हल करना मुश्किल हो। इस चीज़ का अर्थ यह नहीं है कि हम हर प्रकार के परिवर्तन का विरोध करें। इसके विपरीत आज व्यापक और क्रान्तिकारी परिवर्तनों की जितनी आवश्यकता है, उतनी किसी और चीज़ की नहीं है। हमें जाति भेद और छुआछूत के रोगों को समाप्त करना है। पुरानी व्यवस्था की जितनी भी सामन्तशाही विशेषताएँ हैं, हमें उन्हें समाप्त करना है। लेकिन हमें ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं छूना होगा जिससे गाँवों की परम्पराओं में किसी प्रकार की शिथिलता आए। ऐसी किसी भी वस्तु को नष्ट करना अनुचित है जिसके स्थान पर हम भविष्य में उससे उत्तम वस्तु को बनाने की अवस्था में न हों। हमें गाँव को लेकर काम शुरू करना है और कोशिश यह करनी है कि गाँव गाँव ही रहे और साथ ही विकास को ध्यान में रखते हुए उस गाँव में सुधार भी हो। केवल इस प्रकार ही हम गाँवों में देश के इतिहास को बना सकते हैं। भारत की स्वतन्त्रता भी हमारे गाँवों की जागृति का ही परिणाम है।

हमारे ग्रामवासी आम तौर पर परिश्रमी हैं और समझदार हैं—उन्हें इस बात का ज्ञान है कि कौन-सी चीज़ उनके लिए लाभदायक है। भले ही कुछ समय के लिए वे नए विचारों और तरीकों का विरोध करें, लेकिन ज्यों ही वे महसूस करेंगे कि इनको अपनाने से कुछ लाभ है, वे उन्हें अपनाने में कोई आनाकानी नहीं करेंगे। खाली बातों और कोरे सिद्धान्तों में उनकी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन व्यावहारिक और लाभदायक काम की तरफ़ वे एक दम आकर्षित होते हैं। शताब्दियों से वे ऐसी बाहरी शक्तियों के चंगुल में रहे हैं, जिनकी इस नीयत का अन्दाज़ा लगाने में वे असफल रहे थे। इसलिए जब हम ग्राम-समाज की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम ऐसे करोड़ों लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं जो अभावों, आशंकाओं, सन्देहों और आशाओं में जीते रहे हैं और जी रहे हैं। वे बेचारे तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की और उन अवसरों की मांग करते हैं, जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। अगर हमें देश को एक रक्तपूर्ण क्रान्ति से बचाना है तो आवश्यक है कि हम ग्राम-समाज की भोजन, कपड़े, आवास, डाक्टरी सुविधा, शिक्षा और अवसरों की मांग को जल्दी ही और ठीक प्रकार पूरा करने की कोशिश करें।

हमारा विस्तृत ग्राम-समाज देश के पाँच लाख से अधिक गाँवों में फैला हुआ है। इसके जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली समस्याएँ काफ़ी हद तक पेचीदा हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रभावों के फलस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह किसी भी सुधारक अथवा विचारक को परेशान कर सकती है। कोई एक मुख्य समस्या भी ऐसी नहीं है, जिसमें कई प्रकार के कारणों से पेचीदगी न आ गई हो। आर्थिक विकास के ही प्रश्न को लीजिए। इस सम्पूर्ण समस्या पर जाति-भेद, धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं और सैद्धान्तिक मतभेद का प्रभाव पड़ा है। भूमि और अन्न की समस्याएँ भी मिली-जुली हैं, फलस्वरूप भूमिहीनों की भूमि प्राप्त करने की भूख एक प्रमुख समस्या बन गई है। इसी प्रकार बेरोज़गारी और छोटे पैमाने के उद्योगों की समस्याएँ भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि औद्योगीकरण और विकेन्द्रीकृत उत्पादन में तालमेल स्थापित किया जाए। शिक्षा का प्रसार करते समय हम इस बात को नहीं भूल सकते कि भारत एक गरीब देश है और इस गरीबी को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा की योजना बनाई जाए। साथ ही हमें जो शिक्षा दी जाए वह सब से अच्छी किस्म की हो। इसलिए भारत की सारी समस्या यह है कि ग्राम-समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार इसके जीवन और इसकी आवश्यकताओं को समझा जाए और किस प्रकार ग्राम-समाज को पहले से व्यापक, पूर्ण, समृद्ध और सुखी बनाया जाए। यह तब तक सम्भव नहीं जब तक हम एक आन्दोलन आरम्भ नहीं करते जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाया जाए। यह आन्दोलन ग्राम-समाज से शुरू हो कर हर दिशा में फैले।

पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के उद्देश्यों और तरीकों को अब भी १० प्रति शत से अधिक लोग नहीं समझ पाते। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काल में सारा राष्ट्र कैसे सहयोग दे सकता है, जब वह इसके उद्देश्यों और तरीकों के सम्बन्ध में पूरी तरह जानकारी नहीं रखता। इस दिशा में शीघ्र ही कुछ न कुछ अवश्य किया जाए ताकि लोग समझने लगें कि योजना क्या है और हम क्या कर रहे हैं। यह कार्य बड़े पैमाने पर शिक्षा या समाज शिक्षा कार्यक्रम द्वारा किया जा सकता है। वास्तविक काम करने से पूर्व ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए—अगर पहले न दी जा सके तो कम से कम कार्यक्रम के साथ-साथ इसका दिया जाना आवश्यक है। इस दिशा में हमारा कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी तक हम ग्राम-समाज तक पहुँचने में भी शायद सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हर्ष का विषय यह है कि गान्धी जी से प्रेरणा लेकर हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस काम को और भी लगन और तेज़ी से तथा अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैलाएँ ताकि देश के हर भाग में फैले हुए ग्राम-समाज के जीवन के हर पहलू को छू सकें।

ग्राम समाज के जीवन को पहले से समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए इन बातों पर ज़ोर देना आवश्यक है——

१. कृषि में सुधार करके खाद्यान्न की उपज में वृद्धि और शान्तिपूर्ण ढंग से भूमि का न्यायपूर्ण वितरण;

२. ग्राम स्तर पर आहार-नियमों की शिक्षा देकर ग्रामवासियों के आहार में सुधार;

३. आहार-सुधार और व्यापक राष्ट्रीय आरोग्य आन्दोलन द्वारा स्वास्थ्य सुधार;

४. कुटीर और ग्राम उद्योगों में सुधार और संगठन के फलस्वरूप ग्राम्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक आत्म-निर्भरता। साथ ही बहु-उद्देशीय सहकारिता का प्रचार;

५. सस्ती शिक्षा, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक दस साल के अन्दर वह अपनी रोज़ी कमाने योग्य हो जाए। यह सुविधा हर लड़के-लड़की को प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति बेसिक शिक्षा में कुछ परिवर्तन करके की जा सकती है;

६. पंचायतों की सहायता से स्वायत्त शासन, वास्तविक सत्ता पंचायतों के हाथ में हो, और

७. सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा जनता का नैतिक उत्थान। इन कार्यक्रमों में हमारी पुरातन परम्पराओं और आधुनिक युग की अच्छाइयों का सम्मिश्रण हो।

इसमें से कोई चीज़ भी नई नहीं है—लेकिन सब काम एक नए जोश के साथ करने की ज़रूरत है। भावना और टेक्नीक का मिलन होना चाहिए। भौतिक सुधार के साथ-साथ नैतिक उत्थान भी होना चाहिए। आमोद और मनोरंजन हमारे सांस्कृतिक स्तर को नीचे लाने की बजाए ऊँचा उठाएँ। भौतिक-विकास के कई कार्यक्रमों का काम-चलाऊ सामंजस्य मात्र हो काफी नहीं है, इससे बढ़ कर आवश्यकता इस बात की है कि हम भौतिक विकास के कार्यक्रमों और नैतिक उत्थान के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करें। अगर हम इस कार्य में सफल न हुए तो हमारा देश अपने महान् मिशन में असफल हो जाएगा। अगर हम इसमें सफल हो गए तो हम हर देश के सामने, सारी दुनिया के सामने, उदाहरण बन जाएँगे। भारत के ग्राम-समाज को स्वयं अपना कल्याण करना चाहिए और इस प्रकार मानवता के कल्याण का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। सारे एशिया में जगह-जगह ग्राम समाज हैं—चीन में एक बड़ा ग्राम-समाज है। भौतिक और नैतिक विकास के सामंजस्य का संदेश तो गान्धी जी के देश भारत से ही बाहर के देशों को मिलना चाहिए। अपने जीवन काल में गान्धी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम में इन दोनों का सामंजस्य स्थापित कर दिखाया था। सम्भव है कि समय में परिवर्तन करने से उक्त सामंजस्य के मूल तत्व ही समाप्त हो जाएँ। इसलिए नए और पुराने का सन्तुलन करने में हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा।

इसलिए भारत में ग्राम-समाज के कल्याण-कार्यक्रम के दो मिशन हैं। हमें यह कार्य शान्तिपूर्वक और रचनात्मक ढंग से करना है—इस ढंग से करना है कि जीवन की बाह्य अवस्था में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामवासी पुरुषों और स्त्रियों के नैतिक स्तर में भी उन्नति हो। दूसरी बात यह है कि इस विकास का एशिया के ग्राम-समाज पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए।

ऊँचे विचारों और शब्दों से कुछ मतलब हल नहीं होता। ग्राम कल्याण कार्य बहुत विशाल और कठिन है—यह कार्य काफी विस्तृत है और इसमें हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अतः समझदार होने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हम साहसी बनें। निर्माण धीरे-धीरे होगा, एक-एक कदम बढ़ा के हमें आगे बढ़ना होगा। भारतीय इतिहास के विधाता से हमारी यह प्रार्थना है कि वह हमारे देश के लोगों को समझदारी, आत्म-विश्वास और नम्रता प्रदान करे ताकि वे संसार में अपने उच्च उद्देश्य तक पहुँचने में सफल हों।

भूमि का नया बँटवारा

अजितप्रसाद जैन

भूमि सुधार में अब तक जो बड़े-बड़े सवाल पैदा हुए हैं उनमें सबसे कठिन और पेचीदा सवाल यह है कि प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को कितनी भूमि मिलनी चाहिए? स समस्या का हल निकालने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि इस वक्त भूमि का बँटवारा क्या है। लगभग ६० प्रति शत किसानों के पास पाँच एकड़ से कम भूमि है। यह छोटे किसान हैं और कुल जुताऊ ज़मीन का १५.५ प्रति शत नके कब्ज़े में है। इनसे ऊपर मध्यम श्रेणी के किसान हैं जिनके पास पाँच से पच्चीस एकड़ तक ज़मीन है। इनकी संख्या कुल किसानों का १५ प्रति शत है और इनके कब्ज़े में कुल ज़मीन का ५० प्रति शत है। २५ एकड़ से ऊपर वाले बड़े किसानों की संख्या ५ प्रति शत से कुछ ऊपर है लेकिन उनके कब्ज़े में ३४ प्रति शत ज़मीन है। पाठकों को इससे ज्ञात होगा कि ६० प्रति शत छोटे किसानों के पास जितनी भूमि है उसके ुकाबले में ५ प्रति शत बड़े किसानों के पास दुगनी से अधिक भूमि है। दूसरे शब्दों में औसतन छोटे किसानों के पास जितनी भूमि है उससे २२ गुना भूमि प्रत्येक बड़े किसान के पास है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ज़मीन का यह बँटवारा बहुत ही असन्तुलित है।

हमारे देश में २५ करोड़ आदमी या यह कहिए ५ करोड़ परिवार खेती से निर्वाह करते हैं। जुताऊ ज़मीन ४० करोड़ एकड़ है, और इस हिसाब से हरेक व्यक्ति के हिस्से में १.६ एकड़ ज़मीन आती है। अगर सब परिवार बराबर हों और जुताऊ ज़मीन उन में बराबर बाँटी जाए तो हर परिवार के हिस्से में ८ एकड़ से कुछ कम ज़मीन आनी चाहिए। खेती में काम करनेवालों में साढ़े चार करोड़ लोग मज़दूर के रूप में काम करते हैं। इन लोगों का ज़मीन में कोई हक नहीं, लेकिन जुताई, बुवाई, कटाई में यह सबसे अधिक काम करते हैं। इनका निर्वाह भी ज़मीन से चलता है। जिनके पास ज़मीन है, गाँवों में उनकी इज़्ज़त है और समाज में उनका ऊँचा स्थान है। भूमिहीन मज़दूर ग्राम-समाज में सबसे नीची श्रेणी के हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कुछ वक्त अपनी ज़मीन जोतते हैं लेकिन कम ज़मीन होने की वजह से मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करते हैं। सवाल पैदा होता है कि ज़मीन का असन्तुलित बँटवारा ज्यों का त्यों छोड़ा जाए, नाकाफ़ी ज़मीन वाले किसान के पास कम ज़मीन रहे और मज़दूर के पास कोई ज़मीन ही न हो या ज़मीन के बँटवारे में कोई रद्दोबदल की जाए। हम यह बात भी साफ़ करना चाहते हैं कि खेती के लायक ज़मीन जो थी वह करीब-करीब सब जोत में आ चुकी है। कुछ थोड़ी बहुत बंजर ज़मीन जुताई में लाई जा सकती है, लेकिन उससे जुताऊ रकबे में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ सकता।

समाजवादी समाज को देश में स्थापित करना हमने अपना ध्येय बनाया है। इससे जनता की कुछ आशाएँ बढ़ीं, खास तौर से वे दबे हुए गरीब लोग जिनकी ओर अभी तक समाज ने ध्यान नहीं दिया था, उनके मन में विचार पैदा हुआ कि देश की बढ़ती हुई दौलत में उनका भी हिस्सा है। इसी आधार पर पंचवर्षीय योजना बनी है। समाजवादी समाज निर्धन और गरीब व्यक्तियों का समूह नहीं है। उसके दो मुख्य लक्ष्य हैं, अधिक सम्पत्ति और उसका जहाँ तक हो सके बराबर बँटवारा। सारे व्यक्तियों का बिल्कुल बराबर होना तो सम्भव नहीं, लेकिन सब से अधिक मालदार और गरीब आदमी के बीच जितना कम अन्तर हो उतना ही समाजवाद के उद्देश्य की पूर्ति होती है। देश की ३६ करोड़ जनसंख्या में से २५ करोड़ या दूसरे शब्दों में यह कहिए कि ७० प्रति शत व्यक्ति खेती में लगे हैं। देश की वार्षिक आय का लगभग ५० प्रति शत खे ी की उपज से उत्पन्न होता है। जब तक कि ज़मीन को न्यायपूर्ण और बराबरी के असूल पर नहीं बाँटा जाता उस वक्त तक देश की ७० प्रति शत जनसंख्या समाजवादी समाज के दायरे से बाहर रहेगी। छोटे किसान और भूमिहीन मज़दूरों के करोड़ों परिवारों के मन में न उमंग और उत्साह होगा और न समाज में उनका सम्मानपूर्ण स्थान होगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने प्रस्ताव किया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अगले सालों में जुताऊ ज़मीन पर एक सीमा लगाई जाए। इस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति या परिवार भूमि न रख सके। जिसकी जुताई में इस सीमा से अधिक भूमि होगी उससे लेकर ज़मीन मुनासिब तरीके से दूसरों को बाँट दी जाए। कुछ ऐसे किसान हैं कि जिनकी अपनी जोत में तो कम ज़मीन है

और अपनी बाकी ज़मीन जिन्होंने असामियों को लगान पर दे रखी है। इन लोगों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि किसानों से अपनी कुछ ज़मीन छुड़ा लें। लेकिन साथ ही यह भी न होना चाहिए कि आसामी के पास कुछ ज़मीन न रहे। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जहाँ मालिक किसान के पास अपनी जुताई में कम ज़मीन है वह अपने आसामी से कुछ ज़मीन वापस ले सकता है, लेकिन कुछ ज़मीन आसामी के पास भी बाकी रहेगी। इस प्रकार जो ज़मीन प्राप्त होगी वह उन बेदखल हुए किसानों और छोटे-छोटे किसानों में और भूमिहीन मज़दूरों में बाँटी जाएगी। फलस्वरूप गाँव के बहुत से छोटे-छोटे किसान और भूमिहीन मज़दूर जिनको आज न कोई आशा है और न जिनकी कोई इज्ज़त है, उनको भी ज़मीन मिल सकेगी।

भूमि पर क्या सीमा लगाई जाए, यह एक दिलचस्प सवाल है। योजना आयोग ने इस पर बहुत विचार किया। क्या यह कह दिया जाए कि इतने एकड़ से अधिक ज़मीन कोई व्यक्ति या परिवार नहीं रख सकेगा, या यह कहा जाए कि अमुक आमदनी देनेवाली ज़मीन से अधिक ज़मीन कोई व्यक्ति या परिवार नहीं रख सकेगा। व्यक्ति किसको कहा जाए? परिवार की क्या परिभाषा हो? भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, कुछ सिंचाई वाली, कुछ खुश्क, कुछ अधिक उपजाऊ और कुछ कम। कुछ राज्यों में भूमि की मांग नहीं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में ज़मीन बहुत है और जनसंख्या कम। दूसरे ऐसे राज्य हैं कि जहाँ ज़मीन कम है और जनसंख्या ज़्यादा। पश्चिम बंगाल और त्रिवांकुर-कोचीन ऐसे ही राज्य हैं। यहाँ भूमि की माँग बहुत है। सारे भारत में एक नाप-तोल या कसौटी से काम नहीं चल सकता। इन हालात को सामने रखकर आयोग ने यह तजवीज़ पेश की है कि विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त की जाए जो कि राज्यों के हालात की जांच-पड़ताल करके ज़मीन की सीमा निर्धारित करे। यह आवश्यक नहीं कि सारे राज्यों में एक ही सीमा हो।

कुछ लोगों का यह कहना है कि बड़े खेतों के बँटवारे से खेती की पैदावार में कमी होगी। अभी भी देश में कुछ गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है। आगे और भी ज़्यादा मंगाना पड़ेगा। जो कुछ जाँच-पड़ताल की गई उससे पता चला कि ज़मीन की पैदावार लाज़मी तौर से खेत के बड़े या छोटे होने से बढ़ती या घटती नहीं। कितने साधन उपलब्ध हैं, खेती में किसान को कितनी दिलचस्पी है और अच्छी खेती के लिए कितना सलाह-मशविरा मिलता है, इन पर खेती की पैदावार निर्भर करती है। मौजूदा हालत में खेती के साधन बड़े किसानों को अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और अक्सर छोटे किसानों को न कर्ज़ा मिलता है और न पैदावार बेचने की सुविधा होती है। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक ने बड़ी संख्या में किसानों को ऋण देने के लिए बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का आयोजन करने का निश्चय किया है। अगले पाँच साल में १० हज़ार सहकारी समितियाँ बनाई जाएँगी और यह भारतवर्ष के एक-तिहाई हिस्से में फैली होंगी। इनका मुख्य लक्ष्य होगा कि छोटे और औसत दर्जे के किसानों को कर्जे की सहूलियत दी जाए। सामुदायिक विकास-योजनाएँ और विस्तार सेवाएँ जो विकास का कार्य कर रही हैं उससे छोटे और मध्यम किसानों को उत्तम प्रकार की खेती करने में उचित सलाह-मशविरा मिलेगा और ज़मीन पाकर छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों में एक नया जीवन पैदा होगा। मुझे इसमें शक नहीं कि इन तमाम सुविधाओं के पाने पर यह नया किसान देश की दौलत बढ़ाने में कोई कमी न छोड़ेगा और देश की पैदावार घटने की बजाए बढ़ेगी।

आपको यह पता होगा कि हमारे पड़ौसी देश चीन में भी खेती की वही हालत थी जो हमारे यहाँ है। भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी थी। थोड़े से मुट्ठी भर किसानों के हाथों में अधिक ज़मीन थी और छोटे और मध्यम किसानों के हाथ में कम ज़मीन थी। छोटे किसान के पास न पैसा था, न उसे कर्ज़ा मिलता था। चीन ने सहकारी खेती की योजना चलाई और पिछले तीन वर्ष के अन्दर ७० प्रतिशत किसान परिवार इसमें शामिल हो गए। इस सहकारी खेती के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना में किए गए। मेरा विश्वास है कि सफल खेती का आधार भविष्य में सहकारिता के ऊपर निर्भर होगा। सहकारिता के आधार पर बड़े फार्म बनेंगे जिनको कर्ज़ा, सिंचाई, अच्छा बीज, खाद और दूसरी सुविधाएँ आसानी से दी जा सकेंगी। सहकारी फार्म नई-नई जानकारी और विज्ञान की खोज से भी फायदा उठाएँगे, उनकी पैदावार बढ़ेगी। साथ ही खेती से सम्बन्धित और कुछ दूसरे किस्म के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे भी सहकारी किसानों को दिए जाएँगे, जिनसे उनको सुविधा मिलेगी।

कुछ किसानों की तरफ से यह आवाज़ भी उठाई जाती है कि ज़मीन पर हदबन्दी से किसान बर्बाद हो जाएँगे। यह आवाज़ ज़्यादातर बड़े किसानों की ओर से उठाई जाती है। पहले कुछ आँकड़े दिए गए हैं जिनसे पता चलता है

कि २५ एकड़ से अधिक जमीन रखनेवाले केवल ५ प्रति शत किसान हैं । ५ प्रति शत की आवाज़ को तमाम किसानों की आवाज़ कहना गलत है ।

यह भी कहा जाता है कि भूमि हदबन्दी से ग्रामीण जनता पर अन्याय किया जा रहा है । शहरी आमदनी के ऊपर जब तक हदबन्दी न की जाए उस वक्त तक ज़मीन पर हदबन्दी लगाना अन्याय है । समाजवादी समाज केवल गाँवों के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारत के लिए है । मैं इस असूल को मानता हूँ कि अमीर और गरीब का अन्तर शहरों में भी इसी प्रकार कम होना चाहिए जैसा गाँवों में । मगर हर काम को करने का एक ही तरीका नहीं होता । यह अन्तर गाँवों में एक तरीके से कम किया जाएगा और शहर में दूसरे तरीके से । शहरी आमदनी में हदबन्दी करने का तरीका दूसरा है, वह है, करों के जरिए । देशी और विदेशी विशेषज्ञों ने इसकी भी कुछ जाँच-पड़ताल की और कलडौर नामी एक अर्थ विशेषज्ञ ने करों के ढाँचे को बदलने की स्कीम पेश की है कि जिससे शहरी आमदनी में बराबरी लाई जा सके । पूंजी कर, मृत्यु कर और व्यय कर आदि उनकी तजवीज़ों में है । बराबरी, गाँव और शहर दोनों में लाई जाएगी लेकिन मुनासिब और अलग-अलग तरीके से ।

यह भी दलील दी जाती है कि बड़े खेत बहुत कम हैं और भूमिहीन और छोटे किसान ज्यादा । बड़े किसान से ज़मीन ले भी ली गई तो बहुत थोड़े से किसान और भूमिहीन मजदूरों को उससे फायदा होगा, जब तक कि अधिकतम भूमि की सीमा मुकर्रर न हो तब तक यह कहना कठिन है कि कितने लोगों का फायदा होगा । मगर मोटे तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ राज्यों के लिए यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि यदि ३० एकड़ पर सीमा लगाई जाए तो इतनी ज़मीन मिल सकती है कि लगभग ४० प्रति शत भूमिहीन मज़दूरों और छोटे किसानों को पाँच एकड़ तक ज़मीन दी जा सकती है । इस दलील को भी जाने दीजिए । अमीरी और गरीबी के फ़र्क को कम करना हमारे मुख्य सिद्धान्तों में से है । गाँवों में यह बराबरी ज़मीन के बँटवारे से लाई जा सकती है । इससे एक नया समाज बनेगा, नई उम्मीदें पैदा होंगी, जो आज अँधेरे में हैं उन्हें रोशनी मिलेगी । मेरा विश्वास है कि जब तक भूमि की व्यवस्था में क्रान्तिपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, नया बँटवारा नहीं होगा, छोटे किसानों और भूमिहीन मज़दूरों को इज्ज़त न दी जाएगी उस वक्त तक हमारा ग्रामीण समाज ज्यों का त्यों पिछड़ा रहेगा । भूमि का बँटवारा शहरों में बराबरी लाने के लिए बढ़ती हुई सेना की अग्रपंक्ति का काम करेगा । भारत की बढ़ती उससे बड़ी हद तक इस पर निर्भर है । देश के समाज का नवनिर्माण करनेवालों की यही परीक्षा है । मुझे आशा है कि वे पूरा उतरेंगे ।

★

युग-निर्माता गान्धी—[पृष्ठ ५ का शेषांश]

जीवन में लक्ष्य की महत्ता बहुत बड़ी है, क्योंकि वह मंज़िल के अगले पड़ाव के समान जीवन को दिशा देता रहता है । पर जो असली जीवन हम जीते हैं, वह सब तो साधन ही साधन हैं, यानी राह ही राह है । इस कारण यदि साधन अपवित्र हुआ तो सारा जीवन ही अपवित्र हो गया । इसी कारण व्यक्ति, राष्ट्र और समाज के जीवन में एक बुराई कितनी ही अधिक बड़ी बुराइयों को जन्म देती है । हमारा आज का लक्ष्य कल मंज़िल का एक पड़ाव बन जाएगा और नया लक्ष्य हमारे सामने आ खड़ा होगा । अगर पथिक गलत राह पर चल दिया तो वह ठीक मंज़िल पर कहाँ पहुँच पाएगा ?

और एक दिन यह महान युग पुरुष एक क्षण का भी नोटिस दिए बिना चुपचाप अपने 'राम' के पास चला गया । मानव जाति के इतिहास में ऐसे महान जीवन का इतना विराट अन्त कभी-कभी ही हुआ । और जब वह युग पुरुष इस तरह एकाएक चला गया तो मानव जाति ने पाया कि इस एक मृत्यु से मानो पृथ्वी का आंचल कितना सूना-सूना हो गया है ।

जब वह महान अपरिग्रही चला गया, तो यह देख कर विश्व भर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि जिस व्यक्ति के इशारे मात्र पर करोड़ों रुपया एकत्र हो जाता था, वह व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में छोड़ गया है : एक चप्पल की जोड़ी, एक ऐनक, एक घड़ी, कुछ कपड़े और तीन बन्दरों की एक मूर्ति !

परन्तु वह युग पुरुष न सिर्फ हमारे देश के लिए अपितु विश्व भर के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गया है, जो आज तक की सभी प्राप्त सम्पत्तियों से अधिक मूल्यवान है । उस विरासत के रूप में वह एक ऐसा क्रियात्मक आदर्श छोड़ गया है, जो आदर्श आज के एटम शक्ति युग में मानव जाति की रक्षा कर सकेगा ।

आज से ८७ वर्ष पूर्व इस महान विभूति का जन्म हुआ था । इस पुण्य पर्व पर सारा राष्ट्र अपने बापू की वन्दना करता है ।

राजस्थान ग्राम-मुखिया शिविर

अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री ताराचन्द

गिरवा के विकास अधिकारी ग्राम-नेताओं को रस्सी बनाने की मशीन भेंट कर रहे हैं

ग्राम-नेताओं की गोष्ठी

शिविर का एक मनोरंजक कार्यक्रम

शिविर में आयोजित कवि सम्मेलन का एक दृश्य

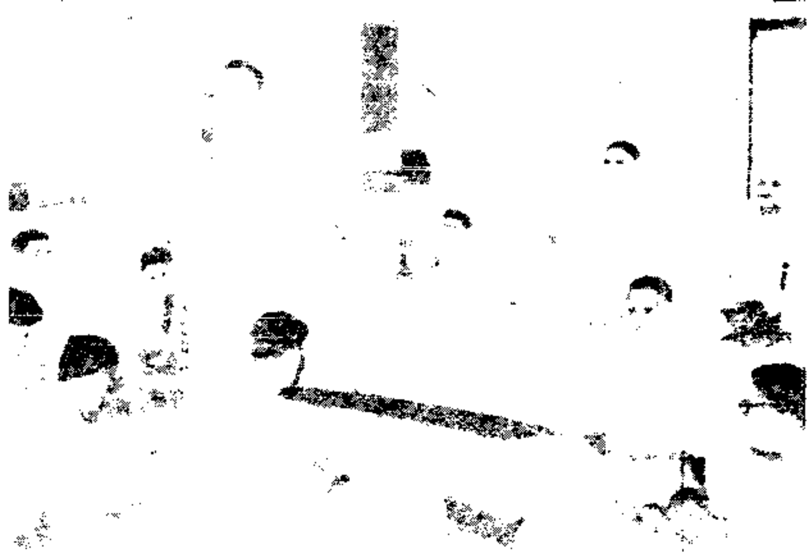

शिविर में प्रातःकालीन 'रामधुन'

समापन समारोह पर सभी ग्राम नेताओं ने काम करने की प्रतिज्ञा की

शिविर के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झांकी

शिविर के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक अन्य झाँकी

शिविर में सहभोज का एक दृश्य

शिविर के समाप्ति समारोह की एक झाँकी

मध्य भारत और राज-स्थान के योजना आयुक्त ग्राम-नेताओं से बातचीत करते हुए

म-नेता गोष्ठी में
० सी० एम० के सदस्य

एक सफल परीक्षण

गजानन्द डेरोलिया

शिविर में सहभोज का एक दृश्य

रेलगाड़ी हमें लिए हुए ऊँचे पहाड़ी मार्ग की टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों को तेज़ी से पार कर रही थी । स्थान-स्थान पर हरे-भरे जंगल, जलप्रपात, सुन्दर झीलें और विशाल तालाब अत्यन्त सुहावने लग रहे थे । २५ जून को मध्यान्ह में २॥ बजे मुझे तथा कुछ अन्य मुखियाओं को लिए गाड़ी झीलों के सुन्दर नगर और वीर भूमि मेवाड़ की भूतपूर्व राजधानी उदयपुर पहुँची । गिरवा विकास खण्ड उदयपुर में है। यहाँ प्रथम बार राजस्थान के समस्त विकास खण्डों के प्रतिनिधि ग्राम-मुखियाओं का १ सप्ताह का शिविर लगाया गया था जिसमें मुझे भी हिण्डौन सामुदायिक विकास खण्ड के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना था । उदयपुर स्टेशन से हमें शिविर कार्यकर्ताओं ने शिविर स्थल पर पहुँचा दिया ।

शिविर स्थल लम्बरदार हाई स्कूल में पहुँचते ही वहाँ विभिन्न विकास खण्डों के प्रतिनिधि मुखियाओं और उद्‌घाटन समारोह की तैयारी में व्यस्त अधिकारियों की चहल-पहल दिखाई दी । ग्राम-मुखियाओं में से कुछ मेवाड़ी पगड़ी बाँधे, कुछ साफे बाँधे, कुछ गान्धी टोपी पहने, कुछ सूटबूट धारी तथा कुछ नंगे सिर थे । अलग-अलग भाषा बोलनेवाले लोगों का यहाँ एक संगम बन गया था । मुख्यमंत्री ने वहाँ पहुँचते ही खाने के लिए पूछताँछ की। क्योंकि गाड़ी विलम्ब से पहुँची थी, इसलिए जल्दी से कमरे में सामान रख, बिना नहाए-धोए उद्‌घाटन समारोह में सम्मिलित हुए ।

राजस्थान भारत सेवक समाज के संयोजक, ग्राम-मुखियाओं, राज्याधिकारियों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने शिविर का उद्‌घाटन किया । इस अवसर पर प्रथम बार किसी समारोह की अध्यक्षता एक ग्रामीण आदि-वासी युवक भानजी भाई ने की ।

शिविर में प्रतिदिन प्रातःकाल झण्डाभिवादन के पश्चात् रामधुन होती थी, जिसमें मुखियाओं के अतिरिक्त अधिकारीगण और मंत्रिगण भी भाग लेते थे । एक दिन तो अमेरिकी प्राविधिक मिशन के प्रतिनिधि भी रामधुन में सम्मिलित हुए । इसके बाद दिन में दो बार विचार गोष्ठियों में पूर्वनिश्चित विषयों पर विचार-विनिमय किया जाता था । प्रत्येक सभा का अध्यक्ष बारी-बारी से ग्राम-मुखियाओं में से कोई एक होता और बातचीत का श्रीगणेश अधिकारी करते । निर्धारित विषयों पर मुखियाओं द्वारा प्रगट किए विचार स्वतंत्र, निर्भीक, उपयोगी और महत्वपूर्ण होते थे जो कभी-कभी तीव्र आलोचना का रूप भी ले लेते थे । कई वक्ताओं ने विकास-योजनाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनमें से मुखियाओं में चरित्रबल की आवश्यकता और साहूकारों द्वारा शोषण को समाप्त करने की मांग प्रायः सर्वसम्मत थी। विकास-योजनाओं में ग्राम-मुखियाओं का योग, पंचायतों की उन्नति, विकास-योजनाओं का भविष्य, सहकारिता का प्रसार, कृषि विकास आदि शिविर के मुख्य विचारणीय विषय थे । शिविर के संचालन के लिए मुखियाओं की एक समिति का संगठन किया गया । एक व्यक्ति शिविर-नेता चुना गया ।

शिविर के आयोजन और सफलता में राज्याधिकारियों का प्रयत्न प्रशंसनीय रहा। वातावरण अत्यन्त व्यस्त रहने के बावजूद भी प्रेम, सहयोग और हंसी-मज़ाक से भरपूर था। मुखियाओं के दिन भर के थके मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए सायंकाल सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम और कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। एक दिन तो यह कार्यक्रम सफलता की चरम-सीमा पर पहुँच गया जब कि राजस्थान के अनेक उच्चाधिकारीगण अभिनेता और विदूषक बनकर मंच पर उतर पड़े और गाना गाने लगे। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 'शिविर समाचार', 'छमछमाछम' और 'फुलझड़ियां' नामों से शिष्ट मनोरंजन से पूर्ण बुलेटिन निकाले जाते थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री, विकास आयुक्त, गृह एवं विकास मंत्री, वित्त मंत्री, विकास संचालक, मध्य भारत के विकास आयुक्त तथा अमेरिकी प्राविधिक मिशन के हँसमुख प्रतिनिधि उन उल्लेखनीय व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने शिविर को अपने महत्वपूर्ण अनुभव और सुझाव दिए। झाड़ू लगानेवाले कर्मचारी से लेकर शिविर संचालक और अधिकारी सब अपने-अपने काम पर मुस्तैद थे। उनकी तत्परता के कारण हमें किसी प्रकार का अभाव नहीं खटका और हमारी हर मांग 'बड़ो हुकम' के साथ तुरन्त पूरी कर दी जाती थी। अपने खण्डों में प्रचलित करने के लिए हर मुखिया को गिरवा विकास खण्ड की ओर से रस्सी बनाने की एक उपयोगी मशीन भेंट की गई।

शिविरार्थियों ने अपने-अपने विकास अधिकारियों के नाम लिखकर अपने खण्डों में विभिन्न विकास कार्य करने की प्रतिज्ञा की। ये प्रतिज्ञा-पत्र शिविर के समाप्ति समारोह में विकास मंत्री को भेंट कर दिए गए।

उदयपुर वालों का आतिथ्य तो सर्व-प्रसिद्ध है। गिरवा विकास खण्ड के मटूण, लकड़वास तथा भोइयों की पचोली ग्रामों में ग्रामीणों की ओर से मुखियाओं को प्रीति भोज दिए गए। हर जगह स्वागत द्वार बनाए गए और बन्दनवारें बाँधी गईं। महिलाएँ मंगल गीत गातीं वृद्ध और प्रौढ़ जन राम-राम करके तथा बालक जयहिन्द करके तुमुल घोष से हमारा हार्दिक स्वागत करते।

हमने देखा कि गाँवों में जगह-जगह आदर्श वाक्य लिखे हैं। श्रमदान द्वारा जन मार्गों, कूपों, तथा जवाहर बाल-मन्दिरों का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ है। लोगों में श्रमदान के प्रति काफी उत्साह दीख पड़ता है। सहकारी संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। उदयपुर में पहले से ही शिक्षण तथा अन्य विकास संस्थाओं का प्रसार होने के कारण गाँवों के लोगों में काफी जागृति पाई जाती है। अन्य संस्थाओं की ओर से नगर में नई बस्तियाँ, गाँवों में अल्पकालीन ऋण से आधुनिक हरिजन बस्तियाँ, व सामुदायिक विकास केन्द्र आदि बनाने के महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। तहसील पंचायत गिरवा के सरपंच एक उत्साही और समाज-सेवी युवक हैं।

उदयपुर में दर्शनीय स्थान, सुन्दर मनोरम झीलें, प्राकृतिक सौन्दर्य, कला तथा ऐतिहासिक स्थल जगह-जगह हैं। समय-अभाव के कारण हमें अनेक चीज़ों को देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो सका परन्तु फिर भी उदयनिवास, फतहसागर, सहेलियों की बाड़ी, महाराणा के महल, गुलाब बाग म्यूनिजयम, पीछोला झील में स्थित जगमन्दिर और जगविलास तथा लगभग ४०० वर्ष पूर्व निर्मित जगदीश मन्दिर हमने देखे। मन्दिर के प्रवेश द्वार, शिखरों तथा दीवारों पर बनी सुन्दर कलात्मक मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। उदय निवास उदयपुर से ८ मील दूर वह स्थान है जहाँ अजमेर के राजा मानसिंह को ठहराया गया था। फतह सागर एक सुन्दर झील है और सहेलियों की बाड़ी के फव्वारों की सुन्दरता देखने योग्य है। महलों में काँच की पच्चीकारी, एक पत्थर का हौज, एक पत्थर का बना कमरा आदि मुख्य वस्तुएँ हैं। पीछे की ओर पीछोला झील है जिसमें स्थित जगमन्दिर में शाहज़ादा खुर्रम को शरण दी गई थी। जगविलास महाराणा का चार-मंज़िला निजी प्रासाद है जिसमें सुख, विलास और ऐश्वर्य के सभी साधन एकत्रित किए गए हैं। महल के झरोखों से शहर का दृश्य, चारों ओर फैली जलनिधि, तथा चारों ओर फैली हरे प्राकृतिक परिधानों में लिपटी अरावली की शृंखलाएँ मन को मोहित करती हैं। महल में रखा काँच की कटाई का फर्नीचर और कुछ तैलचित्र अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं। पीछोला झील में ४० मुखिया साथियों के साथ नौकाविहार का प्रत्येक क्षण सुखद और आनन्ददायक था। जगदीश मन्दिर में 'मीरा के गिरधर नागर' की ऐतिहासिक मूर्ति के दर्शन किए।

मुखियाओं की विकास कार्यों को देखने और नाथद्वारा के दर्शन करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए राजसमन्द-रेलमगरा विकास खण्ड की यात्रा के लिए बस द्वारा उदयपुर से रवाना हुए। नाथद्वारा पहुँचते ही वहाँ के विकास अधिकारी और तहसील पंचायत के सदस्यों ने हमारा स्वागत किया और चाय पिलाई। कुछ विलम्ब से पहुंचने के कारण हमें उस समय श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हो सके और

पहले हम विकास खण्ड की यात्रा पर गए। बरनोड़ा ग्राम में पहुँचते ही राजसमन्द के विकास अधिकारी तथा ग्रामीणों ने प्रेम से हमें मालाएँ पहनाईं और गुलाल लगाया। हमने गाँव में बने जवाहर बाल मन्दिर, नलकूप, सामुदायिक मंच तथा बालक्रीड़ा केन्द्र और नहर को देखा। गाँव वालों में चेतना और श्रमदान के प्रति आस्था पाई। एक ८० वर्षीय वृद्ध ने बड़े उत्साह से कहा—"म्हानै राजरा पीसा री मदद नी चावै, म्हानै तो राजरा आदमी आ बता दे कि ईं नहर री नाड़ी ईं रास्ता सूं जाणी चावै, फेर म्हे तो आपड़ती ही बणा लेवाँ।" वृद्ध के इस उत्साह ने हमें प्रेरणा दी। इस ग्राम की परिवार संख्या केवल ४५ ही है फिर भी इन लोगों ने १४ हजार रुपए का श्रमदान किया है।

इसी दिन ग्राम पंचायत के केन्द्र धुइन्दा में हमारी दावत थी। स्वागत के लिए आतुर ग्रामवासियों का उत्साह चरम सीमा पर था। धुइन्दा पहुँचते ही हमें मालाओं से लाद दिया गया और ज़ोर की गुलाल वर्षा की गई। स्वागत के उत्तर में धन्यवाद देते-देते मेरे पास शब्द समाप्त हो रहे थे परन्तु ग्रामीणों के उत्साह में ज़रा भी कमी नहीं दिखती थी। यहाँ नवयुवक संघ, विकास मण्डल, महिला मण्डल, किसान संघ आदि संस्थाएँ चल रही हैं। यहाँ से हम काँकरोली गए जहाँ हाई स्कूल में हमारी चायपार्टी थी। एक स्थानीय कवि सम्मेलन में एक कवि ने हल्दीघाटी के पीपल की करुण गाथा बड़े ही हृदयस्पर्शी और प्रभावोत्पादक शब्दों में सुनाई।

काँकरोली से वापस आकर हमने नाथद्वारा में मंगला की झाँकी के दर्शन किए। अव्यवस्था होने के कारण दर्शनार्थियों की संख्या अधिक न होने पर भी धक्का-मुक्की होती है। पण्डे लोग पंखा, अंगोछे आदि से महिलाओं पर प्रहार करते हैं। भारत का यह प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ करोड़ों की सम्पत्ति, अपार वैभव और अतुल ऐश्वर्य होते हुए भी अव्यवस्था का शिकार है।

नाथद्वारा से हम प्रसिद्ध झील और एक प्रमुख आकर्षण राजसमन्द (नौचौकी) देखने गए। गान्धी सेवा केन्द्र के विभिन्न जनोपयोगी कार्यों को देखने के बाद हमने मनोरम झील राजसमन्द के प्राकृतिक और कला सौन्दर्य को देखने का आनन्द लिया। तीनों ओर प्राकृतिक पहाड़ियाँ विशाल झील का लहराता जल, विशाल घाट, उन पर बनी छतरियाँ और तोरण यहाँ स्वर्ग को उतार लाए प्रतीत होते हैं। घाट, इनकी सीढ़ियाँ और चौकियों की संख्या का नौ होना यहाँ की विशेषता है जिसके कारण इस स्थान का नाम नौ चौकी पड़ा। किनारे पर महाराणा का महल है। तोरणों और छतरियों की कला अत्यन्त उत्कृष्ट और सजीव बन पड़ी है।

राजस्थान सरकार ने समस्त राजस्थान के ग्रामीणों की शक्ति को एकत्रित कर विकास कार्यों में उसका उपयोग करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया। यह परीक्षण काफी सफल रहा। शिविर में अधिकारियों को गाँववालों की कठिनाइयाँ और उनके हल, दृष्टिकोण तथा मुखियाओं को सरकार का उद्देश्य, दृष्टिकोण और अपना कर्त्तव्य समझने का अवसर मिला। इसके अनुभवों और निश्चयों से अनेक कमियों को दूर करने का अवसर मिल सकेगा। भविष्य में होने वाले ऐसे शिविर निश्चय ही अधिक सफल होकर ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे।

एक सप्ताह शिविर में आनन्दपूर्वक बिताने के बाद हम विदा हुए। यद्यपि शिविर समाप्त हुए कई महीने होने को आए, परन्तु साथियों की याद और शिविर की स्मृतियाँ आज भी ताज़ा बनी हुई हैं।

★

हमारे हाथ में भगवान् ने वह ताकत दी है जिससे हम चाहें तो यहाँ पर स्वर्ग ला सकते हैं और नरक भी ला सकते हैं। गाय को घास खाना लाज़िमी है, वह गोश्त खा ही नहीं सकती। याने वह पुण्य ही कर सकती है, पाप नहीं। शेर को गोश्त खाना ही लाज़िमी है, वह चाहे तो भी घास नहीं खा सकता। याने उसे पाप करना लाज़िमी है, वह पुण्य नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर सकता है। वह आज़ाद है और पशु आज़ाद नहीं। मनुष्य जानवर से भी नीचे उतर सकता है और परमेश्वर के करीब भी पहुँच सकता है। भगवान् ने मनुष्य को वह ताकत दी है कि वह चाहे जैसा बने।

—विनोबा भावे

बिल्ली के घंटा कौन बाँधे ?

जानकारों का कहना है कि सन्तति नियमन देश के लिए बहुत जरूरी है

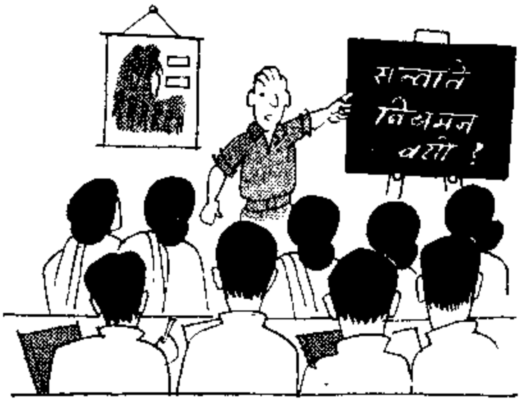

हेल्थ विजीटरों को समझाया जाता है कि सन्तति नियमन क्यों आवश्यक है

समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं को बताया जाता है कि सन्तति नियमन हमारे कार्यक्रम का अंग है

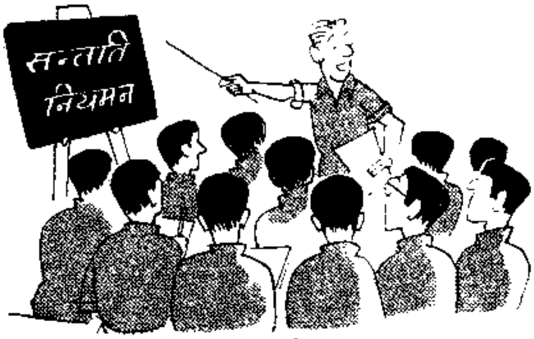

— ग्राम सेवकों को ग्रामों की अर्थ व्यवस्था में सन्तति नियमन के महत्व से परिचित कराया जाता है

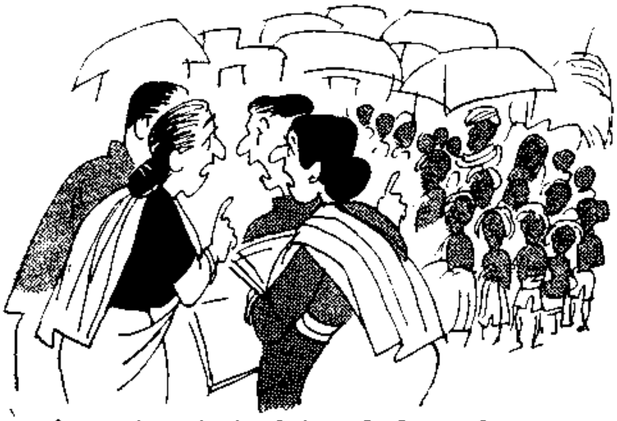

और आपसी बातचीत में भी वे सन्तति नियमन की आवश्यकता पर जोर देते हैं—

परन्तु गाँववालों को कौन समझाए ?

ग्राम-सुधार की दिशाएँ

वी० टी० कृष्णमाचारी

पंचवर्षीय योजना क्या है ? अक्सर लोग यह सोच लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना कोई बड़ी कठिन किताब है जिसमें कई तरह की योजनाओं और स्कीमों का वर्णन है, जिनको कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में अमल में लाना है। लेकिन यह एक गलत दृष्टिकोण है। पंचवर्षीय योजना उन सब कोशिशों का मूर्त रूप है जो कि सरकार और जनता नए भारत को बनाने के लिए कर रही है।

इन कोशिशों के बीच सामुदायिक विकास-योजनाओं की क्या जगह है ? जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की जनता का ८० फी सदी भाग गाँवों में रहता है। कार्यकर्ताओं का काम यह है कि वे भारत की जनता को यह महसूस करावें कि वह अपनी ही कोशिशों से अपने जीवन में तबदीली ला सकती है। हमारे सामने खास काम यह है कि हम गाँववालों में अधिक अच्छे जीवन के लिए काम करने की लगन जगावें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। आप सब जानते हैं कि आज भारत के गाँवों का जीवन जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। इसकी वजह जानने के लिए हमें शायद सैकड़ों साल पहले की ओर निगाह डालनी होगी। अब देश में एक नई ज़िन्दगी करवटें ले रही है, नई इच्छाएँ कुनमुना रही हैं, नई आशाएँ और नई आकांक्षाएँ जाग रही हैं और हम एक ऐसे संगठन को बना रहे हैं जो जनता को अधिक अच्छे रहन-सहन की तरफ ले जाने में सहायक होगा, उनमें अधिक अच्छी ज़िन्दगी की इच्छा पैदा करेगा और उनको ऐसी ताक़त और ऐसा निश्चय मिलेगा जिसके ज़रिए अधिक अच्छे जीवन को प्राप्त करना सम्भव होगा। सामुदायिक विकास-योजनाओं का यही उद्देश्य है।

अब सवाल यह है कि जनता की भावना और दृष्टिकोण में इस तरह की तबदीली लाने के लिए हमें किन-किन दिशाओं में काम करना चाहिए। सब से पहले तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी-रोज़गार और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पर ज़ोर देना है और उसके लिए काम करना है। इस प्रकार का काम ही सब प्रकार के ग्राम-सुधार की जड़ है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में खेती मौसम की हालत पर निर्भर करती है। साल के तीन से लेकर चार महीनों तक ही हमारे यहाँ बरसात होती है। सिर्फ इन्हीं महीनों में खेती-किसानी के काम चल सकते हैं। सारे भारत में केवल पाँचवें हिस्से में ही सिंचाई का इंतज़ाम है और इसी हिस्से में लोग दूने समय में, यानी ६ से लेकर ८ महीने तक, खेती-किसानी का काम कर सकते हैं। नतीजा यह होता है कि भारत में ५ करोड़ से लेकर ६ करोड़ परिवार तक सिर्फ़ साल के कुछ हिस्से में ही काम में लग पाते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता सकता है कि करीब चार करोड़ से लेकर पाँच करोड़ तक परिवार साल में तीन से लेकर चार महीने तक काम में लगते हैं और बाकी इससे दूने समय तक काम में लगते हैं। इससे यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्यों यह देश आर्थिक दृष्टि से मज़बूत नहीं है। साफ़ है कि इसकी वजह बढ़ी-चढ़ी बेरोज़गारी है। एक दूसरी बात भी है; उन महीनों में भी जब कि खेती-किसानी का काम चलता रहता है, साल के कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जबकि खेत जोतने या फसल काटने जैसे काम पूरी-पूरी तरह और पूरे ज़ोरों से चलते हैं। उन दिनों के अलावा बाकी समय में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत खेती-किसानी के लिए नहीं रह जाती। इस सब बेरोज़गारी और उसके असर को देखते हुए, जो कि जनता के आर्थिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जीवन पर भी पड़ता है, हमें चाहिए कि हम उसे दूर करने के लिए कोशिश करें और हरेक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी-रोज़गार के मौके देकर पैदावार को बढ़ाएँ। इस काम में सामुदायिक विकास-योजनाओं से बड़ी सहायता मिलेगी। दरअसल यही उनका सब से अधिक महत्वपूर्ण काम है।

एक दूसरी दिशा, जिधर कार्यकर्ता मददगार साबित हो सकते हैं, यह है कि जनता को यह अनुभव कराया जाए कि तरक्की तभी हो सकती है जबकि लोग खुद मेहनत और कोशिश करें। सरकार सिर्फ उनकी मदद कर सकती है लेकिन मुख्य प्रेरणा, पहल और कोशिश तो जनता की ही होनी चाहिए और गाँवों की दशा में सुधार की ज़िम्मेदारी कुल मिलाकर पूरे समाज पर है। इस समस्या को सिर्फ कुछ थोड़े से लोग, जो कि गाँव में जाकर सुधार या पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं, नहीं सुलझा सकते। इसके लिए तो गाँवों में रहनेवाले सभी लोगों को मिल-जुल कर गाँवों की अवस्था का सुधार करना होगा और पूरे ग्राम-

जीवन को ही सम्मिलित रूप में ऊँचा उठाना होगा। हम सब को, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं, इस दूसरे पाठ को अच्छी तरह दिल में जमाना होगा और इसे अपने उदाहरण और अपने आचरण के द्वारा लोगों को सिखाना होगा। स्वावलम्बन या अपनी मदद आप करना और सहकारिता या मिल-जुल कर काम करना गाँव के विकास की कुंजी है।

एक तीसरी दिशा भी है जिधर सामुदायिक विकास कार्यकर्त्ताओं को लोगों के दिलों में तबदीली करनी है। उन्हें लोगों को बताना है कि देश में करोड़ों आप जैसे परिवार हैं जिनकी सामर्थ्य का उपयोग अभी साल के कुछ महीनों के लिए ही किया जा रहा है। यह सामर्थ्य, यह ताकत बहुत बड़ी है और इसका प्रयोग सिर्फ सम्बन्धित व्यक्तियों की भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि सारे समाज की भलाई के लिए करना चाहिए।

ऊपर जिन तीन मुख्य सिद्धान्तों की चर्चा की गई है उन पर चलते हुए और उनको सभी तरह की कार्रवाई की बुनियाद बनाते हुए ही सामुदायिक विकास के काम का संगठन करनेवाले, गाँव वालों को एक नया दृष्टिकोण और गाँव के जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं कि पीढ़ी-दर पीढ़ी जो बातें अभी तक चली आ रही हैं उनमें तबदीली हो और गाँववालों को नई-नई बातें बताई जाएँ और ज़िन्दगी के नए नए रास्ते दिखाए जाएँ। गाँवों में रहने वाली जनता के दृष्टिकोण में इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए हम किस प्रकार के संगठन से काम लेने जा रहे हैं? योजना आयोग की रिपोर्ट में हमने राष्ट्रीय विस्तार संगठन की चर्चा की है। हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी शुरू कर चुके हैं। इन दोनों ही संगठनों का उद्देश्य करीब-करीब एक ही सा है। जब हम राष्ट्रीय विस्तार संगठन की या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की चर्चा करते हैं, तो हम करीब-करीब एक ही समान संगठन की बात करते हैं। इस तरह के संगठन का बुनियादी विचार न तो भारत के लिए नया है और न दूसरे देशों के लिए। जिनको हम विस्तार सेवाएँ कहते हैं, वे अमेरिका में, इंग्लैंड में, डेनमार्क में, हालैंड में और कुछ दूसरे देशों में भी कई सालों से काम कर रही हैं। भारत में भी देश के विभिन्न भागों में ये सेवाएँ आज से पहले संगठित की जा चुकी हैं और इनके ज़रिए सफलतापूर्वक काम हुआ है। मैं फिर दुहरा दूँ कि बुनियादी सिद्धान्त यह है कि हम गाँववालों के दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करें और उनसे कहें कि वे अपने सुधार के लिए खुद ही काम करें। अगर एक बार हम अपने यहाँ के ग्राम वासियों को पूरी तरह जगा दें और उन्हें रचनात्मक कामों में लगा दें तो मैं समझता हूँ कि देश में सुधार की असीम सम्भावनाएँ हैं।

समाज शिक्षा का संगठनकर्त्ता सामुदायिक कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इनका मुख्य काम यह है कि वे लोगों के दृष्टिकोण में वह परिवर्तन लावें और वह मानसिक क्रान्ति करें जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की है। पूछा जा सकता है—"क्या आपको पूरा-पूरा विश्वास है कि इस तरह की मानसिक क्रान्ति सम्भव है, और क्या उसे लाया जा सकता है?"

मेरा जवाब है—"ज़रूर।" मैं जानता हूँ कि हमारे पास वे सब भौतिक साधन नहीं हैं जो कि अन्य देशों के पास हैं। अमेरिका की ही बात लीजिए। वहाँ जितने इलाके पर खेती हो रही है उसका रकबा हमारे यहाँ के खेती वाले इलाके से ढाई गना है। वहाँ की आबादी हमारे यहाँ की आबादी से करीब-करीब आधी है और उस आबादी का २० फी सदी भाग खेती-बाड़ी के काम में लगा हुआ है। इसकी तुलना आप भारत से करिए। आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे यहाँ खेती-बाड़ी के रास्ते में कौन से अड़ंगे हैं; इसके अलावा एक और भी बड़ा अड़ंगा है। करीब-करीब सारे भारत में बहुत काफ़ी मौसम ऐसा रहता है जबकि पानी नहीं बरसता। हम खेती-बाड़ी के काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सिंचाई की सहूलियतें न हों। दूसरे देशों के मुकाबले, जहाँ कि बरसात का मौसम कहीं ज्यादा लम्बा होता है, यह एक बड़ी असुविधा है। लेकिन इस देश में कई साल काम करने के बाद मैंने एक बात पाई है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि भारत के किसान दकियानूसी होते हैं। यह एकदम ग़लत बात है। मैंने देखा है कि वे हमेशा सुधार को अपनाने के लिए इच्छुक और तैयार रहते हैं। लेकिन उनके पास बहुत थोड़े साधन होते हैं। वे कोई खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर कोई खास सुधार उन्हें उपयोगी मालूम हो तो वे तुरन्त उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

हमें गाँववालों के दिलों में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगाना है और सुधार की भावना पैदा करनी है जिससे कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ उन सब सुधारों को पूरा कर सकें जिनको दूसरी जगहों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जब तक हरेक किसान परिवार अपने

(शेष पृष्ठ २९ पर)

गिरती दीवारें

मुशताक अहमद खाँ

नम्बरदार की चौपाल में गाँव के कुछ बड़े-बूढ़े हुक्के का आनन्द ले रहे थे तथा इधर-उधर की गप्पें हाँक रहे थे। तभी रामलाल उधर से गुज़रा। उसको देख कर चौधरी मनीराम ने रहस्यमय ढंग से मुस्करा कर खखारा और कहने लगा—"नम्बरदार जी, कल रात को जब मैं शहर से आ रहा था तो श्मशान से हरिराम ने मुझे आवाज़ दी। मैं तो डर के मारे कुछ भी नहीं बोला, पर वह कमबख्त खुद ही कहने लगा कि वह भूखों मर रहा है। उसने मुझ से कहा कि मैं गाँववालों से कहकर उसके छोकरे से उसके (हरिराम के) लिए कुछ खर्च करवाऊँ।"

"ऐसा ही परसों मेरे साथ हुआ," मन्दिर के पुजारी भगवान दास ने कहा—"उस रात को मेरे घर के किवाड़ पिटने लगे। पूछने पर उसने बताया कि वह हरिराम है और भूखों मर रहा है। उसके छोकरे ने उसके पीछे कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब उसकी मुक्ति होनी मुश्किल है।"

"तो हरिराम भूत बन गया?"

"और नहीं तो क्या, जब उसके लड़के ने उसको 'तेरहवीं' ही नहीं की तो भूत न बनता तो क्या सीधा स्वर्ग में चला जाता? अब उस गरीब की आत्मा यों ही भटकती फिरेगी।" पुजारी जी ने फिर कहा।

"अरे, उसके पास है भी क्या जो वह कुछ करे। पाँच सौ रुपए तो हरिराम उस पर कर्ज ही छोड़ गया है", एक व्यक्ति बोला।

"पास होने न होन का क्या सवाल है, मैं अब भी उसको जितने रुपए चाह देने को तैयार हूँ। पर उसकी तो नीयत में फरक आ गया है", गाँव के सेठ धनीराम ने अकड़ कर कहा।

"मेरे पिता जी का देहान्त हुआ तब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मगर जेवर वगैरा गिरवी रख कर मैंने उनकी 'तेरहवीं,' तो की ही।"

"उसे यह खयाल तो है ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। बेशर्म हो गया है। कर्ज़ से बचने के लिए आदर्शवाद का ढोंग रचता है।"

"अरे, यह सब उस ग्राम सेवक की करतूत है। पहले तो वह यही कहता था—'नए हल, अच्छे बीज, नए औज़ार और अंग्रेज़ी खाद का प्रयोग करो। गोबर उपयोगी खाद है, इसको मत जलाओ, घर को और गाँव को साफ-सुथरा रखो इत्यादि।' पर अब तो वह हमारे सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगा है। प्राचीन काल से चली आ रही बहुत-सी प्रथाओं को वह समाज के लिए हानिकारक बताता है।" उपस्थित लोगों में से एक ने कहा।

"हमारे जवान छोकरे उसके बहकावे में आ गए हैं। उसने नौजवान कमेटी के नाम से इन छोकरों का एक संगठन बनाया है। यह हरिराम का छोकरा उसी के बहकावे में आ गया दिखता है।"

× × ×

रामलाल हरिराम का इकलौता पुत्र है। वह पढ़ा-लिखा तो नहीं है पर आजकल वह रात्रि पाठशाला में पढ़ने जाता है। प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के कथनानुसार उसकी सूझ-बूझ बहुत अच्छी है। ग्राम सेवक द्वारा स्थापित नौजवान कमेटी का वह सक्रिय सदस्य है। वह प्रगतिशील विचारों का समर्थक है। सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं को वह मिटाना चाहता है। बारह दिन पहले उसके पिता का देहान्त हुआ था। गाँववाले उसको उसके पिता की 'तेरहवीं' करने पर मजबूर कर रहे हैं। पर वह उनकी बात नहीं मानता है। जब किसी बूढ़ी स्त्री या पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके तेरहवें रोज़ मृतक के वारिस एक बड़े भोज का आयोजन करते हैं। इस भोज में सगे सम्बन्धियों तथा गाँववालों के अतिरिक्त आस-पास के गाँवों से बिरादरी के लोग भी सम्मिलित होते हैं। यह सब मिल कर मृतक के वारिसों का तो दिवाला निकाल देते हैं। कई वर्षों तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती। इस कुप्रथा को 'मोसर', 'खर्च', 'नुकता', या 'तेरहवीं' कहते हैं।

× × ×

रामलाल ने अपने पिता की मृत्यु पर यह सब कुछ नहीं किया। वह लोगों के सामने आदर्श रखना चाहता है। गाँव वाले उस पर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने उसका हुक्का पानी बन्द कर दिया। लोग कहते हैं कि उसका बाप भूत बन गया है। पर उसे इन बातों की परवाह नहीं है।

रामलाल गरीब है। उस पर पाँच सौ रुपया कर्ज़ है। इसीलिए लोगों पर उसके इस आदर्श कार्य का कोई प्रभाव

नहीं पड़ा क्योंकि उनके कथनानुसार उसने यह खर्च से बचने के लिए किया है।

इस घटना के बाद गाँव में तीन-चार बूढ़ों की मृत्यु हुई। उनकी तेरहवीं पर बड़े ठाट-बाट से भोजों का आयोजन किया गया। चौधरी दुलीचन्द को तो इस कार्य के लिए एक आना प्रति रुपया ब्याज के हिसाब से एक हजार रुपया कर्ज लेना पड़ा।

× × ×

नम्बरदार का देहान्त हुए ६ दिन हो गए हैं। गाँव के बड़े-बूढ़े अभी से उसके पुत्र के पास आने लगे हैं। 'तेरहवीं' के इंतजाम के लिए अपनी मुफ्त सेवाएं पेश करते हैं। परन्तु लालसिंह (नम्बरदार का पुत्र) जो नौजवान कमेटी का अध्यक्ष है, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इस बारे में अपनी माता से भी उसका झगड़ा हो गया है। लोग-बाग आपस में कहते हैं—"इस छोकरे ने तो नम्बरदार के खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जब इसके दादा की मृत्यु हुई, तब नम्बरदार ने दस-दस कोस तक के गाँवों में दो दिन तक चूल्हा नहीं जलने दिया था। बेचारे नम्बरदार के सब धर्म-कर्म धूल में मिल गए। अब उसकी मुक्ति होनी कठिन है। वह भी हरिराम की तरह भूत बन कर लोगों को परेशान करता फिरेगा। हरिराम के लड़के के पास तो पैसा भी नहीं था, पर यहां पैसे की क्या कमी है। आस-पास के गाँवों तक में इस बात की चर्चा है कि कि वह इतना पैसा छोड़ कर मरा है कि यह (लाल सिंह) जीवन भर बैठा-बैठा खाए तो भी खत्म नहीं हो।"

लालसिंह कहता है—यह सब फ़ि ूल खर्ची है। इस पैसे को यदि यों न खर्च कर राष्ट्र-निर्माण के कार्य में खर्च किया जाए तो मृतक की आत्मा को अवश्य शान्ति मिलेगी।

पर क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे जिन्होंने ऐसी प्रथाओं का श्रीगणेश किया था ? मगर आज कल के नौजवान बड़े-बूढ़ों की कब सुनते हैं। और यह लालसिंह तो नौजवान कमेटी का अध्यक्ष बना हुआ है। हे भगवान ! अब कैसे-कैसे 'आदर्शवादी तथा प्रगतिशील' पैदा होने लगे हैं।

लालसिंह के पास पैसे की कमी नहीं है। गाँव के बहुत से व्यक्तियों ने उससे रुपए उधार ले रखे हैं। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह रामलाल की तरह लालसिंह के सामाजिक बहिष्कार की बात भी कहे।

× × ×

कुछ दिनों के बाद गाँव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सूबेदार फतेहसिंह का देहान्त हो गया। गाँववाले, जिनको नम्बरदार की मृत्यु पर कुछ भी खाने को नहीं मिला था, अब की बार पेट भर कर लड्डू पूड़ी खाने की आशा पर अपने-अपने दाँत पैने करने लगे थे। सूबेदार का लड़का पदमसिंह प्रगतिशील विचारों का समर्थक तो था, पर उसमें आगे बढ़ कर कार्य करने का साहस नहीं था। तेरहवीं की प्रथा को वह भी हानिकारक समझता था। रामलाल तथा लालसिंह ने उसका मार्ग साफ कर दिया था। उसने अपने मन में विचार किया—'नम्बरदार की हम से ज्यादा इज्जत थी। जब उस जैसे धनी मानी आदमी की ही तेरहवीं नहीं हुई और लोग कुछ दिन शोर मचा कर चुप हो गए, तो फिर मैं ही क्यों फिजूल खर्च करूँ।'

गाँववालों की अभिलाषा पूर्ण न हो सकी। मान-मर्यादा एवं धर्म-कर्म की थोथी दीवारें दो-तीन धक्कों से ही ढह गईं।

इस घटना के बाद भी गाँव के कई बूढ़े परलोक सिधारे मगर उनके वारिसों ने उनकी आत्माओं की शान्ति तथा भूख की तृप्ति के लिए भोजों का आयोजन नहीं किया। वे कहते हैं—जब नम्बरदार तथा सूबेदार जैसे धनी-मानी और प्रतिष्ठित लोगों के मरने पर उनके पीछे कुछ भी खर्च नहीं किया गया तब हम गरीबों की क्या औकात है कि कुछ खर्च करें। गरीब रामलाल का तो कोई हवाला तक नहीं देता। धीरे-धीरे लोग इस कुप्रथा की हानियों से परिचित हो गए। अब उस गाँव में तो करीब-करीब इस प्रथा का अन्त ही हो गया है और न ही किसी मृत व्यक्ति के भूत बनने की चर्चा सुनने में आती है।

●

परोपकारी जीवन

मध्य प्रदेश के दुर्ग ज़िले में पाटन सामुदायिक विकास खण्ड है जहाँ कि सुन्दरसिंह नामक एक सिनेमा आपरेटर काम करते हैं।

सन् १९५५ में पाटन निवासियों ने बाज़ार के बीच तथा विकास कार्यालय के सामने कुछ दूरी पर एक सार्वजनिक कुआँ बनाया जिसकी गहराई लगभग ६० फुट है।

२२ जुलाई, १९५६ को शाम छः बजे की बात है। सेवक नामक एक नौ वर्ष का बालक कुएँ की फिरनी के साथ खेल रहा था। हाथ छूट जाने के कारण वह उस में गिर गया। उस समय कुएँ में कम से कम ५० फुट गहरा पानी भरा हुआ था।

बालक को कुएँ में गिरते देख श्री सुन्दरसिंह आपरेटर जो उस समय कार्यालय में काम कर रहे थे तुरन्त दौड़ कर गए और कपड़े तथा जूते पहने ही अपनी जान को बाज़ी लगा कर बालक के प्राण बचाने के लिए कुएँ में कूद पड़े। बालक डूबने ही वाला था कि उन्होंने उसे पानी के ऊपर उठा लिया। इतने में कई ग्रामीण भाई दौड़ पड़े और कहीं से एक सीढ़ी लाकर कुएँ में लटका दी जिसके सहारे श्री सुन्दरसिंह उस बालक को बेहोशी की हालत में लेकर बाहर निकले।

बालक के शरीर में काफ़ी पानी भर चुका था। यदि थोड़ी भी देर और होती तो उसके प्राण न बचते। बालक को लिटा कर मुँह से उसके पेट का पानी निकाला गया। कुछ देर बाद बालक होश में आ गया और फिर खेलने लगा।

लोगों ने श्री सुन्दरसिंह की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा—"तुम धन्य हो तुम्हारा जीवन एक शुद्ध, निस्स्वार्थी और परोपकारी जीवन है।"

विकास कार्य में सुन्दरसिंह सरीखे नवयुवकों की ही आवश्यकता है।

भगवान प्रसाद मिश्र,
खण्ड विकास अधिकारी,
पो० पाटन,
जिला दुर्ग (म० प्र०)

उत्तर प्रदेश में जन बल का उपयोग

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश के नव-निर्माण और उसकी आर्थिक परिस्थितियों का सन्तुलन ठीक करने के लिए धन बल के अभाव में जन बल का उपयोग करना ही अधिक समीचीन और श्रेयस्कर समझा गया। लोगों में यह भावना भरी गई कि 'ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।' स्वावलम्बन का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र, आगे बढ़ सकता है। भारत जैसे विशाल देश में अपार जन बल है और इसके बूते पर जो कुछ भी किया जा सके, वह थोड़ा ही है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग इसका महत्व समझें और स्वेच्छा से अपने हाथों में ऐसे कार्य लें जिनके द्वारा समाज का समुचित लाभ हो। इस प्रकार की भावनाओं के जगाने से देश में पर्याप्त गतिशीलता आई और परिणामस्वरूप सामाजिक हित के लिए बड़े श्लाध्य एवं स्तुत्य कार्यों का श्रीगणेश हुआ और वे सफलतापूर्वक सम्पन्न भी हुए। इस प्रकार समय की यह पुकार साकार हुई और लोग इस परीक्षा में खरे उतरे। इस जनबल के आन्दोलन को साधारण भाषा में 'श्रमदान' कहा जाता है।

इस बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रारम्भ में श्रमदान द्वारा नवनिर्माण में विश्वास इने-गिने कतिपय व्यक्तियों को ही था और अधिकांश लोगों को इसकी सफलता में बड़ा ही सन्देह था। यह जन बल आन्दोलन 'श्रमदान' प्रारम्भ में सरकार द्वारा संचालित न होकर गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपनाया गया जिसमें गाँव पंचायतों एवं सभाओं ने विशेष भाग लिया। इसकी भी खिल्ली उड़ाई गई, क्योंकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विदेशियों के शासन के जादू ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के विगत वर्षों का इतिहास ही अकर्मण्यता, शैथिल्य, उदासीनता, आत्म विस्मृति तथा एक घोर निष्क्रियता एवं निश्चेष्टता से ओतप्रोत कर दिया था। कलुषित जीवन पुनः सुधर सकता है, मृत अवयवों में नव जीवन का संचार किया जा सकता है और राष्ट्र को नूतन आशाओं और विश्वास से अनुप्राणित किया जा सकता, इसमें लोगों

का विश्वास नहीं था। किन्तु श्रमदान के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने उनकी आंखें खोल दीं।

यह जनता का उद्यम था और इसे उसी के तत्वावधान में रहना चाहिए था। किन्तु इस ओर सावधान रहना भी इसलिए आवश्यक था कि कहीं प्रयत्न बेकार न हो और संगठन अथवा अवसर की कमी के कारण लोगों को हताश न होना पड़े। अतएव आदेश न देकर सहायता देनेवाले उत्साही अधिकारियों को जनता के पथ-प्रदर्शन आदि के लिए भेजा गया। उन्होंने इस दिशा में पर्याप्त जागरूकता और आत्मविश्वास से कार्य किया।

यों तो जनता में जोश, उमंग और उत्साह आदि का आवेग परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाता है पर उसमें आशा का संचार करना बड़ा कठिन है। इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार जनता के समक्ष निश्चित और रचनात्मक आदर्श रख कर उसकी कल्पना को सजीव और उत्तेजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न इस प्रकार के श्रमदान की महत्ता राष्ट्र रक्षा के लिए किए गए किसी भी साहसिक कार्य से कम नहीं है। इसके द्वारा सदियों से सुप्त जनता जाग उठी है। इसका प्रदर्शन अवसरानुकूल सफल सिद्ध हो चुका है। विदेशी सत्ता के विषैले एवं घातक प्रभाव से मरणासन्न जनता के लिए यह संजीवनी हमें प्राण प्रण से सुरक्षित रखनी होगी क्योंकि यह राष्ट्र की उन्नति के लिए राम बाण औषधि है।

यहाँ श्रमदान सम्बन्धी प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना उपयोगी प्रतीत होता है। कार्यों के चुनाव में स्थानीय उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा गया है। अतएव उनमें मुख्यत: सड़कों, तालाबों, बाँधों, कुओं, पूलों, नालियों, पुलियों, खाद के गड्ढों, पंचायतघरों तथा गान्धी चबूतरों आदि के निर्माण को ही प्राथमिकता दी गई। इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता की इच्छा और उसका निर्णय ही प्रधान था। परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान कार्य किया। प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्त्ताओं, गाँव सभाओं तथा उनके मंत्रियों, निरीक्षकों, छात्रों, शिक्षकों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने आन्दोलन की सफलता के लिए पर्याप्त परिश्रम किया और प्रगति के मार्ग का पथ-प्रदर्शन किया। यह ठीक है कि सच्चे अर्थों में इसका श्रेय उन अज्ञात कार्यकर्त्ताओं को है जिन्होंने राष्ट्र के इस पावन अनुष्ठान में अपनी सामर्थ्य से भी अधिक कार्य किया, जिन्हें न तो कोई जानेगा और न जिनकी स्तुति के गीत ही गाए जाएँगे।

यदि निष्पक्ष भाव तथा सच्ची दृष्टि से देखा जाए तो इस जनबल द्वारा जो कुछ कार्य हुआ वह अतुलनीय है। यह अपने ढंग का प्रथम किन्तु सफल प्रयोग है, और इसीलिए 'गणतन्त्र सप्ताह' श्रमदान सप्ताह के नाम से विख्यात हो उठा। इस अनूठे दृष्टिकोण, अनूठी पद्धति और जनता के अनूठे योगदान ने उत्तर प्रदेश में वह अनूठा उदाहरण रखा है जो सदैव अनूठा कहा जाएगा, इसमें रंच मात्र भी सन्देह नहीं हो सकता। जनबल द्वारा श्रमदान कार्यों का नियोजन यद्यपि नियोजन विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में हुआ पर उनका विस्तार सहित निरूपण ज़िला नियोजन समितियों द्वारा उनके गाँव में, गाँव सभाओं द्वारा ही हुआ।

चूंकि श्रमदान कार्यों के परिणाम ज्ञात हो गए हैं, अतएव जनता के साहस और विश्वास में आशातीत वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। आवश्यकता इस बात की है कि उसके इस साहस और विश्वास की रक्षा की जाए तभी तो वह न केवल गणतन्त्र सप्ताह में प्रारम्भ किए गए कार्यों को पूर्ण करने का ही प्रयत्न करेगी, अपितु नए कार्यों का श्रीगणेश भी करेगी। इस प्रकार हम सगर्व अपने राज्य को ही नहीं बल्कि सारे देश को नव निर्माण की उस रूपरेखा का दर्शन करा सकेंगे जो त्वरित गति के साथ बहुत ही कम में हो रहा है। हमारे राज्य का यह प्रयोग, हमारे जनबल का उपयोग, अथवा 'श्रमदान कार्य' हमारे राष्ट्र के लिए शुभ लक्षण की घोषणा करता है। रचनात्मक कार्यों की प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा यह आदर्श सर्वथा अनुकरणीय है।

श्रमदान द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर अग्रसर होने तथा भविष्य में इस प्रकार 'जनबल' का उपयोग करने की सारी योजनाएँ बनाने में जनता का सहयोग परमावश्यक है। यही नहीं योजना निर्माण के समय कार्य के व्यवस्थित सञ्चालन के लिए नागरिकों, स्त्रियों और बच्चों की टोलियों के संगठन बनाने भी परमावश्यक होंगे। साथ ही इस दिशा में सावधानी से विचार भी करना होगा कि प्रत्येक वर्ग अपनी शक्ति भर अधिक से अधिक कार्य कर सके।

श्रमदान का प्रथम प्रयोग दिसम्बर १९५२ में प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया गया। इन्होंने जन शक्ति संचालन योजना चला कर यह पता लगाया कि निर्माण में श्रमदान के प्रति लोगों की रुचि कैसी है? परिणामस्वरूप प्रयोग सफल और उत्साहजनक होने के कारण उसे बड़े पैमाने पर चलाने का विचार हुआ। तब

से श्रमदान का आन्दोलन बराबर जारी रहा और अब यह राज्य के कार्यकलाप का एक अभिन्न अंग बन गया है। मुख्य मंत्री के शब्दों में इस अभियान ने सर्वसाधारण में राष्ट्रनिर्माण के लिए कार्य करने की प्रेरणा और उमंग उत्पन्न की है जो लम्बे दासत्व काल के अभिशापों को दूर करने में प्रयत्नशील किसी भी नव स्वतन्त्र देश के लिए आवश्यक है।

श्रमदान सप्ताह अब प्रति वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। गत वर्ष तक श्रमदान का कार्य गणतन्त्र सप्ताह में ही हाथ में लिया जाता था, पर इस वर्ष राज्य भर में १८ जनवरी सन १९५६ से अथवा स्थानीय सुविधानुसार कुछ दिनों पूर्व से ही एक सप्ताह के लिए यह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया ताकि प्रान्त की सारी जनता २६ जनवरी के राष्ट्रीय पुण्य दिवस में भाग ले सके।

'श्रमदान' अथवा 'जनबल' द्वारा अपने राज्य में कितना महान कार्य हुआ है और राज्य का कितना रुपया बचाया गया है यह उन आँकड़ों द्वारा जाना जा सकता है जो इस प्रकार हैं। ये आँकड़े प्रथम पंचवर्षीय योजना के हैं—

१—सड़कें बनीं	३२,२५२ मील
२—सड़कों की मरम्मत	४७,०७२ मील ५ फर्लांग
३—मिट्टी के कार्य का मूल्य	६,६८,३१,२८३ रुपए
४—पुलियाँ बनीं	१,८७७
५—पुलियों की मरम्मत की गई	१७६
६—पुल बने	१५४
७—पुलों की मरम्मत की गई	२२
८—गूलें बनाई गईं	५८७ मील ५ फर्लांग
९—गूलों की मरम्मत की गई	१२,५६६ मील ५ फर्लांग
१०—बन्धी बनी व मरम्मत की गई	४,२१७
११—नालियाँ बनीं	५२० मील
१२—नालियों की मरम्मत की गई	३९५ मील १ फर्लांग
१३—तालाब खुदे	१,२२३
१४—तालाब की सफाई हुई तथा गहरे किए गए	१८,३८४
१५—नहरें बनीं	३४४ मील २ फर्लांग
१६—नहरों की मरम्मत की गई	६०७ मील ४ फर्लांग
१७—गान्धी चबूतरे बने	४,१५७
१८—गान्धी चबूतरों की मरम्मत की गई	२६५
१९—पंचायत घर बने	१,०५६
२०—पंचायत घरों की मरम्मत की गई	४०१
२१—कुएँ बने	१,९६४
२२—कुओं की मरम्मत की गई	४,६०६

★

ग्राम-सुधार की दिशाएँ—[पृष्ठ २४ का शेषांश]

इलाके में और ज़्यादा काम करके पैदावार को नहीं बढ़ाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल हो गया है। जहाँ तक संगठन सम्बन्धी कोशिशों का सम्बन्ध है, हमें ऐसा इंतजाम कर देना चाहिए कि सारे गाँव को अच्छे बीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलते रहें और अच्छी खाद, जो कि गाँव में ही इकट्ठी की जा सकती है, इकट्ठी की जाए और उन लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाए जो सारे गाँव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको गाँव में ऐसे नेता भी बनाने होंगे जो ग्रामसु-धार के काम में गाँववालों को सहायता देते रहें और गाँववालों तथा विस्तार कार्यकर्ता को जोड़नेवाली कड़ी बन जाएँ। गाँव में वहीं के नेता तैयार करने का यह काम बड़ा महत्वपूर्ण है। कई गाँवों में पंचायतें पाई जाती हैं। इस प्रकार की संस्थाएँ तो ज़रूर हैं लेकिन उनके इर्द-गिर्द उनका संचालन करने वाले नेताओं की ज़रूरत भी है।

इसके अलावा आपको गाँव में कई तरह की ज़रूरतें पूरी करने वाली ऐसी सहकारी समिति बनानी होगी जिसमें करीब-करीब हरेक परिवार के प्रतिनिधि हों। यह न सिर्फ इसलिए जरूरी है कि गाँव वालों को अच्छे बीजों, अच्छी खाद, उर्वरकों आदि के लिए पैसों की जरूरत है, बल्कि इस लिए भी कि इससे गाँववालों को यह अनुभव होगा कि अपनी मदद आप करना और अपने ऊपर निर्भर रहना सब तरह के सुधारों की जड़ है।

प्रगति के पथ पर

उपज बढ़ाने के लिए छः आवश्यक बातें

"भारत में पैदावार बढ़ाने के लिए छः बातें जरूरी हैं: (क) भारतीय किसान अधिक मेहनत करें और हमारी विस्तार सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाए। (ख) खाद और उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाए तथा फसल को नुकसान पहुँचानेवाले कीड़ों, चूहों, पक्षियों, बन्दरों, आवारा पशुओं आदि का नाश किया जाए। (ग) जैसा चीन और जापान में किया गया है, भारतीय किसान को फसल के न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जाए। (घ) खेती में ज्यादा पूंजी लगाई जाए और किसानों को सुलभ शर्तों पर ऋण दिए जाएं। (ङ) खेती के और अधिक स्कूल तथा कालेज खोले जाएँ। (च) देश भर में कृषि ऋण समितियों और बिक्री संस्थाओं का जाल बिछा दिया जाए।" ये शब्द भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि उपमंत्री श्री कृष्णप्पा ने अपनी चीन-जापान यात्रा से लौट आने के बाद एक वक्तव्य में कहे। संक्षेप में श्री कृष्णप्पा का वक्तव्य इस प्रकार है—

"मैं तीन सप्ताह चीन में और एक सप्ताह जापान में रह कर लौटा हूँ। दोनों देशों में मैंने वहाँ की कृषि प्रणाली और मछली-पालन उद्योग का अध्ययन किया। चीन के किसानों ने पैदावार बढ़ाने के जो उपाय इन वर्षों में अपनाए हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि सारा राष्ट्र उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर उठाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहा है। उन्होंने फसल के सब शत्रुओं, जैसे बन्दर, चूहे, आवारा पशु और चिड़ियों आदि का समूल नाश कर दिया है। यही पशु-पक्षी हमारे देश में फसल का काफी बड़ा हिस्सा चट कर जाते हैं। चीन के किसानों ने खाद का उपयोग करके अपनी पैदावार तो बढ़ाई ही है, लेकिन वे गाँवों को भी साफ़-सुथरा रखते हैं। इसलिए वहाँ बीमारियाँ भी कम हो गई हैं। चीन ने अपने यहाँ भारी संख्या में सहकारी फार्म बनाए हैं। इनमें से अधिकांश को बने हुए अभी एक वर्ष ही हुआ है। इसलिए इतनी जल्दी यह बताना सम्भव नहीं कि उनसे पैदावार कितनी बढ़ेगी। हमारे यहाँ भी भूमि-हीन किसानों की समस्या हल करने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में कम से कम दो सहकारी फार्म होने चाहिएँ।

"चीन और भारत जैसे देशों की जनता के लिए मछली एक महत्वपूर्ण आहार है। समुद्र में से हम बहुत ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। इस बारे में हम जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एशिया के किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा जापान में प्रति एकड़ अधिक उपज होती है और प्रति एकड़ पानी में अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में नदियों और समुद्र से हम प्रतिवर्ष केवल दस लाख टन मछलियाँ पकड़ते हैं जब कि जापान में प्रति वर्ष ५० लाख टन मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अपना खर्च निकाल कर, जापान प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपए से अधिक की मछलियों का निर्यात करता है।

"जो जापानी विशेषज्ञ भारत की यात्रा कर चुके हैं, उनकी राय है कि भारत में मछली पकड़ने की सुविधाएँ जापान से भी अधिक हैं। १९२० तक वहाँ भी मछली पकड़ने के पुराने साधनों का ही उपयोग किया जाता था। पर इन थोड़े से वर्षों में ही जापान विश्व के मछली पकड़नेवाले देशों में सबसे आगे हो गया है। प्रति एकड़ अधिक उपज और मछली

पकड़ने के बारे में हमें जापान और चीन, दोनों से बहुत कुछ सीखना है। जापान में प्रति व्यक्ति के पीछे केवल ढाई एकड़ भूमि उपलब्ध है। जापानी किसानों ने उसी पर उपज बढ़ा कर दिखा दिया है कि छोटे-छोटे खेत होने के कारण उपज कम नहीं होती। यदि हम प्रजातांत्रिक ढंग से कृषि और मछली-पालन उद्योग में प्रगति करना चाहते हैं, तो मेरी राय में हम सबसे अधिक सीख जापान से ही ले सकते हैं।"

अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम

१९५०-५१ से १९५५-५६ तक 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर कुल १ अरब १२ करोड़ ६३ लाख रुपए खर्च किए गए और इससे कुल ५२ लाख २८ हजार टन का अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा हुआ। भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ३ सितम्बर तक अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को २३ करोड़ ६४ लाख ८६ हजार रुपया स्वीकार किया है—२२ करोड़ १० लाख १९ हजार रुपया ऋण और १ करोड़ ५४ लाख ६७ हजार रुपए अनुदान के रूप में। उक्त राशि में से अब तक ३ करोड़ ७८ लाख ७२ हजार रुपया बांटा जा चुका है। ऋण की कुल राशि में से आंध्र को ५ करोड़ २९ लाख ८७ हजार रुपए, मद्रास को ३ करोड़ ६३ लाख ७२ हजार रुपए, उत्तर प्रदेश को २ करोड़ ६१ लाख ३३ हजार रुपए, हैदराबाद को २ करोड़ ४७ लाख ८५ हजार रुपए और मध्य प्रदेश को २ करोड़ १ लाख २३ हजार रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा असम, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, तिरुवांकुर-कोचीन, जम्मू तथा कश्मीर, अजमेर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश को ६ करोड़ १४ लाख १९ हजार रुपया दिया गया।

इसी तरह अनुदान की कुल राशि में से बिहार को २८ लाख ८७ हजार रुपया, मध्य भारत को २६ लाख ८ हजार रुपया, उत्तर प्रदेश को २२ लाख ६५ हजार रुपया और सौराष्ट्र को १० लाख ३९ हजार रुपया मिला है। इसके अलावा आन्ध्र, असम, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, तिरुवांकुर-कोचीन, जम्मू तथा कश्मीर, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश तथा मणिपुर को ६६ लाख ६८ हजार रुपया दिया गया। कुर्ग का अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम अभी विचाराधीन है।

कृषि में अणु-शक्ति का उपयोग

कृषि गवेषणा में अणु-शक्ति का प्रयोग मुख्यतः इस समय नई दिल्ली के भारतीय कृषि गवेषणा संस्थान में, एक साल से कुछ अधिक समय से हो रहा है। संस्थान में पूर्णतः सज्जित एक रेडियो ट्रेसर प्रयोगशाला स्थापित की गई है और अपनी खेती-बाड़ी के उपयोग के कई प्रकार के उर्वरकों के बारे में अनुसंधान हो रहा है। इस अनुसंधान के बहुत से उपयोगी परिणाम निकले हैं। हमारे देश की ५०-६० प्रतिशत जमीन में फास्फोरस की कमी है और फास्फोरस युक्त रासायनिक खाद डालने से जमीन की उर्वरता बढ़ सकती है। यह भी पता लगा है कि २ से २० प्रति शत फास्फेटयुक्त खाद से भी गेहूँ और धान की फसल को काफी लाभ होता है। जमीन में फास्फोरस की कितनी मात्रा है इसका पता लगाने की एक विधि निकाली गई है। इससे यह लाभ होगा कि किसानों को यह बताया जा सकता है कि जमीन में फास्फेटयुक्त कितना खाद डालने से लाभ होगा।

गाँवों में बिजली

गाँवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिल्ली, भोपाल, कच्छ, मणिपुर, विंध्य प्रदेश, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तिरुवांकुर-कोचीन राज्यों के अतिरिक्त अन्य सब राज्यों से आवश्यक जानकारी मिल गई है। योजना आयोग ने राज्य सरकारों की बिजली योजनाओं के लिए अस्थायी रूप से धन की व्यवस्था की है। इसमें गाँवों में बिजली लगाने के लिए भी धन दिया गया है। आयोग ने आंध्र और हैदराबाद राज्यों में दूसरी योजना में गाँवों में बिजली लगाने के लिए क्रमशः ५,४६,२७,००० रुपए और १,४२,५०,००० रुपए की व्यवस्था की है। आंध्र और हैदराबाद सरकारों ने जो विकास कार्यक्रम भेजे हैं, उनसे पता चलता है कि १९५६-५७ में गाँवों में बिजली लगाने के काम पर आंध्र सरकार का १५ लाख रुपए और हैदराबाद सरकार का ४२,६१,००० रुपए खर्च करने का विचार है।

भूमिहीन खेतिहर मज़दूर

केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने, मई १९५५ में, राज्य सरकारों को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने की उचित योजनाएँ चलाने के लिए कहा था। इन योजनाओं के लिए केन्द्र वित्तीय सहायता देने को तैयार है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिए, १४ राज्यों की सरकारों ने योजनाएँ बनाई हैं। दूसरी योजना में इस काम के लिए ५ करोड़ ५४ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से राज्य सरकारों ने ५ करोड़ ५ लाख की और केन्द्रीय सरकार ने ४९ लाख रुपए की व्यवस्था की है।

ज़मीन के कटाव की रोकथाम

बड़े बाँधों में मिट्टी न जमने पाए, इसके लिए भारत सरकार ज़मीन का कटाव रोकने की एक बड़ी योजना शुरू करने का विचार कर रही है। यह योजना अभी तैयार नहीं हुई है। योजना तभी बन सकेगी, जब उन क्षेत्रों का, जिनसे बाँधों में पानी आता है, विस्तृत सर्वेक्षण हो जाए। ऐसा सर्वेक्षण शुरू करने के सुझाव पर विचार हो रहा है। इस कार्य के लिए कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं रखा जाएगा। सन् १९५६-५७ में प्रस्तावित सर्वेक्षण पर १५ लाख ५० हजार रुपया खर्च होगा।

बाढ़ के बाद भूमि कटाव

ग्रामसेवक

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन द्वारा प्रकाशित 'ग्रामसेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १।) : एक प्रति =)

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक मूल्य ४) : एक प्रति ।=)

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक मूल्य २।।) : एक प्रति ।)

प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। सुन्दर गेट-अप की इस सचित्र पत्रिका का मूल्य ८ आना है। वार्षिक मूल्य २)

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं। वार्षिक मूल्य ६) : एक प्रति ।।)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

Regtd. No. D-28

उत्कृष्ट प्रकाशन

महात्मा गान्धी

महात्मा गान्धी की कहानी—चित्रों में

यह चित्रमय कहानी काल क्रम अनुसार है और महात्मा गान्धी के अलौकिक जीवन के महत्त्वपूर्ण अध्यायों में बँटी हुई है। यह आशा की जाती है कि इस समय तक उनके जीवन तथा कार्य-कलाप के सम्बन्ध में जो प्रचुर सामग्री एकत्र हुई है यह प्रकाशन उसका उपयुक्त चित्रमय पूरक प्रमाणित होगा।

सादा जिल्द १०) रु०
सिल्क जिल्द १५) रु०

स्वाधीनता और उसके बाद—
जवाहरलाल नेहरू के भाषण

प्रधान मंत्री नेहरू के १९४६ से १९४९ तक विशेष अवसरों पर दिए गए ६० महत्त्वपूर्ण भाषण। स्वाधीनता, महात्मा गांधी, साम्प्रदायिकता, काश्मीर, हैदराबाद, शिक्षा, उद्योग, भारत की वैदेशिक नीति, भारत और राष्ट्र मण्डल, भारत और विश्व, आदि विषयों पर। सभी दृष्टियों से संग्रहणीय और पठनीय ग्रन्थ। रु० ५)

भारत दर्शन

(चित्रों में)

भारत की कहानी दिग्दर्शित करने वाले विविध चित्रों का अनमोल संग्रह है। देश के निवासी, पशु, वनस्पति, प्राकृतिक रचना, आदि का विहंगावलोकन। भारतीय जीवन विचारधारा, परिस्थिति, प्राकृतिक दृश्य इत्यादि, विभिन्न पहलुओं का स्थलानुरूप समावेश। रु० ७॥)

भारतीय कला का सिंहावलोकन

मोहिन्जोदड़ो के समय से लेकर भारत के प्राचीन मध्ययुगीन तथा आधुनिक कला के ३७ रंगीन और १०० एक रंगी चित्रों का संग्रह। रु० ६॥)

भारत की एकता का निर्माण

अगस्त १९४७ से दिसम्बर १९५० तक भारत के इतिहास के तेजस्वी काल में दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के २७ महत्त्वपूर्ण भाषण जो स्वतन्त्र भारत के निर्माण का यथार्थ प्रमाण हैं, कई दुर्लभ चित्रों सहित। रु० ५)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

Printed at the Mufid-i-'Am Press, Delhi, and Published on behalf of Community Projects Administration by the Publications Division Delhi-8.